

अध्याय III: पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.1 व्यर्थ व्यय

कम्पनी गुवाहाटी एटीएफ पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन के साथ थी तथा उससे ओआईएल की वाणिज्यिक शर्तों को अंतिम रूप दिए बिना सामग्री की खरीद की जो पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक भूमि के 50 प्रतिशत से अधिक का मालिक था। परियोजना की योजना बनाने से पूर्व भूमि के सटीक क्षेत्र का उचित सर्वेक्षण भी नहीं किया गया था। इन सबके परिणामस्वरूप परियोजना लागत में असामान्य वृद्धि हुई तथा बाद में परियोजना को छोड़ने के परिणामस्वरूप ₹ 17.80 करोड़ का निष्क्रिय निवेश तथा ₹ 2.57 करोड़ की हानि हुई।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) ने ₹ 44 करोड़ की अनुमानित लागत पर गुवाहाटी हवाईअड्डे पर गुवाहाटी रिफाइनरी (रिफाइनरी) से विमानन ईंधन स्टेशन (एएफएस) तक 35 किलोमीटर (किमी.) लम्बी विमानन टर्बाइन फ्लूल (एटीएफ) पाइपलाइन बिछाने का निर्णय लिया (नवम्बर 2009) क्योंकि यह रिफाइनरी से एएफएस तक एटीएफ के सुरक्षित, मितव्ययी तथा तीव्र आवागमन को सुनिश्चित करेगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के सामान्य राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) में बेतकुच्ची (18 किमी) तक पाइपलाइन बिछाने की योजना बनाई गई थी तथा उसके बाद यह एएफएस तक 17 किमी के लिए स्वतंत्र आरओडब्ल्यू में पारगमन करेगा। मेनलाइन पाइपो की आपूर्ति के लिए अप्रैल 2011 में ₹ 14.53 करोड़ मूल्य पर एक आर्डर जारी किया गया था तथा आपूर्ति अगस्त 2011 में समाप्त की गई थी।

हालांकि, प्रबंधन ने अगस्त 2011 में अपने कोरिडोर में पाइपलाइन बिछाने की अनुमति के लिए ओआईएल को सम्पर्क किया। इसके उत्तर में, ओआईएल ने 35 किमी. की सम्पूर्ण लम्बाई के लिए पाइपलाइन बिछाने पर विचार किया। चर्चाओं के कई दौरों के बाद, मई 2013 में पाइपलाइन बिछाने के लिए ओआईएल का वाणिज्यिक ऑफर प्राप्त किया गया था। मेन पाइपलाइन बछाने के प्रभारों (आरओडब्ल्यू सहित) तथा पीएमसी*

* परियोजना प्रबंधन परामर्श

प्रभारो के लिए ओआईएल का ऑफर अनुमानित लागत से ₹ 30 करोड़ (लगभग) अधिक था। परियोजना की योजना बनाते समय, पाइपलाइन बिछाने को सामान्य क्षेत्र में परिकल्पित किया गया था। तथापि, सर्वेक्षण के पश्चात यह पाया गया कि ओआईएल के कोरिडोर के अधिकतर विस्तार दलदली भूमि पर थे जिसके कारण मेनलाइन बिछाने की लागत में उक्त वृद्धि हुई। बाद में परियोजना लागत ₹ 87 करोड़ अर्थात् पूर्व अनुमानित से ₹ 43 करोड़ अधिक तक बढ़ी। इसलिए कम्पनी ने परियोजना को छोड़ने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2013) क्योंकि अधिक निवेश जैसे परिकल्पित लाभ औचित्यपूर्ण नहीं थे। इसी बीच में, मार्च 2014 तक कम्पनी ने इस परित्यक्त परियोजना पर ₹ 21.81 करोड़ का व्यय किया गया था जिसमें से ₹ 17.80 करोड़ मेनलाइन पाइप की लागत तथा अन्य पूँजीगत स्टोर से संबंधित थे तथा ₹ 1.44 करोड़ नियंत्रण इमारत के निर्माण के लिए थे। सर्वेक्षण आदि के लिए व्यय की गई शेष ₹ 2.57 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाला गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रबंधन परियोजना के क्रियान्वयन के साथ था तथा उससे ओआईएल की वाणिज्यिक शर्तों को अंतिम रूप दिए बिना सामग्री की खरीद की जो पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक भूमि के 50 प्रतिशत से अधिक का मालिक था। इसके अलावा, परियोजना की योजना बनाने से पूर्व भूमि के स्टीक क्षेत्र का उचित सर्वेक्षण भी नहीं किया गया था। इन सबके परिणामस्वरूप परियोजना लागत में असामान्य वृद्धि हुई तथा बाद में परियोजना को छोड़ा गया जो विवेकहीन परियोजना नियोजन का संकेत देता है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा (सितम्बर 2014) कि परियोजना को उनके समान्य आरओडब्ल्यू में पाइपलाइन बिछाने के विषय में ओआईएल के साथ चर्चा की शुरूआत के पश्चात ही स्वीकृति दी गई थी। यह भी कहा गया कि पीएमसी के रूप में उन्हें नियुक्त करने की शर्त के साथ सम्पूर्ण कार्य लेने के लिए स्वीकृति देने में ओआईएल के विलम्ब जैसे कम्पनी के नियंत्रण के अतिरिक्त कारकों के कारण, परियोजना को ठंडे बस्ते में डालने से परियोजना लागत बढ़ गई थी। उपरोक्त, उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रबंधन ने परियोजना की स्वीकृति से पूर्व ओआईएल के साथ परियोजना की केवल तकनीकी व्यवहार्यता पर चर्च करने के लिए पहल की थी। वास्तव में, उक्त पाइपलाइन बिछाने के लिए ओआईएल के साथ वाणिज्यिक नियमों और शर्तों को अन्तिम रूप देने की कार्यवाही को ऐसी स्वीकृति के पश्चात प्रारम्भ किया गया था तथा अधिकतर माल की खरीद को भी ऐसी नियमों तथा शर्तों को अंतिम रूप देने से पूर्व किया गया था।

प्रबंधन का अन्य तर्क कि परियोजना के लिए खरीदा गया माल अन्य चालू परियोजनाओं अर्थात् गोवा एटीएफ पाइपलाइन परियोजना, इन्नोर-त्रिची मदुरै-(ईटीएम) एलपीजी पाइपलाइन परियोजना आदि में उपयोग करने हेतु प्रस्तावित था एक उत्तर चिन्तन प्रतीत होता है। ईटीएम परियोजना की मेनलाइन पाइपो का प्रस्तावित तकनीकी विनिर्देश (डब्ल्यूटी अर्थात् दीवार की मोटाई) गुवाहाटी एटीएफ पाइपलाइन परियोजना की उस मेनलाइन पाइप के समान नहीं था। इसके अलावा, छोड़ी गई गुवाहाटी एटीएफ पाइपलाइन परियोजना के लिए खरीदी गई मैनलाइन पाइप की लम्बाई 35 किमी थी, जबकि प्रस्तावित गोवा एटीएफ पाइपलाइन परियोजना के लिए यह केवल 9.3 किमी. थी।

यह मामला की जा रही परियोजनाओं के विवरण से बहुत अधिक माल की खरीद के लिए व्यग्रता दर्शाएगा। यह अपव्यय का एक मामला है।

मंत्रालय को नवम्बर 2014 में मामला सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2015)।

3.2 निर्धारित अवधि के अन्दर टैकेज सुविधाओं के यांत्रिक समापन का पुनर्निर्धारण न होने के कारण परिहार्य व्यय

बीओओटी अनुबंध में प्रावधानों के अनुसार एक रिफाइनरी परियोजना के लिए टैकेज सुविधाओं के यांत्रिक समापन के पुनर्निर्धारण की विफलता के परिणामस्वरूप कोई लाभ पाए बिना ₹ 12.10 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

पाराद्वीप रिफाइनरी परियोजना (पीडीआरपी) के लिए कच्चे तेल तथा तैयार उत्पाद टैंकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (टी कम्पनी) ने मै. आईओटी उत्कल एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (बीओओटी ठेकेदार) के साथ बिल्ट आन-ऑपरेट ट्रांसफर (बीओओटी) आधार पर एक समझौता किया (जून 2010)। कार्य को फैक्स ऑफ एक्सेप्टेंस (23 नवम्बर 2009) जारी होने से 24 माह के अन्दर (नवम्बर 2011 तक) पूरा होना था जिसे बीओओटी ठेकेदार के अनुरोध पर दो माह तक बढ़ाया गया (अर्थात् जनवरी 2012 तक समापन)। अनुबंध के खण्ड 4.4 के अनुसार, यदि कम्पनी उल्लिखित तिथि के अनुसार उपयोगिता की आपूर्ति करने में विफल हुई या ठेकेदार से किसी चूक के बिना कच्चे तेल/उत्पाद की आपूर्ति करने में असमर्थ हुई तो शुरूआत की निर्धारित समय से तीन माह या वास्तविक प्रारम्भ जो भी पहले हो, के पश्चात हुआ माना जाएगा। टैकेज सुविधाएं जुलाई 2013 में पूर्ण हुई थी। चूंकि रिफाइनरी को चालू नहीं किया गया था तथा अनुबंध के खण्ड 4.4 के अनुसार, कम्पनी ने नवम्बर 2013 (अर्थात् समापन से 3 माह पश्चात) से बीजको का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध (खण्ड 4.6) के अनुसार, कम्पनी के पास छः माह की टैकेज सुविधाओं की निर्धारित शुरूआत के बढ़ाने का अधिकार था तथा इस अधिकार को कार्य आदेश की स्वीकृति के छः माह के अन्दर किया जाना था। यह भी देखा गया कि दो माह के लिए अनुबंध अवधि बढ़ाने हेतु बीओओटी ठेकेदार के अनुरोध को स्वीकार करते समय कम्पनी ने 22 जुलाई 2010 तक निर्धारित शुरूआत को बढ़ाने के अपने अधिकार को दोहराया। हालांकि कम्पनी के परियोजना मूल्यांकन ग्रुप (पीएजी) के पीडीआरपी में अधिक समय तथा सुविधाओं को उपयोग किए बिना ठेकेदार को संभव भुगतान के जोखिम को देखने (नवम्बर 2009) के बावजूद कम्पनी निर्धारित प्रारम्भ का विस्तार करने में विफल हुई।

कम्पनी ने कहा (अक्टूबर/नवम्बर 2014) कि पीएजी द्वारा दर्शाए जोखिम को छः माह की अधिकतम अवधि तक निर्धारित प्रारम्भ के विस्तार के लिए एक प्रावधान को शामिल करके संभाला गया था। मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया (फरवरी 2015) कि छः माह तक शुरूआत के विस्तार के लिए संविदा में एक अग्र कार्रवाई के रूप में प्रावधान किया गया था तथा कम्पनी ने उस समय दो माह के विस्तार के लिए इसका उपयोग नहीं किया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि जुलाई 2013 में टैकेज सुविधा पूर्ण होने के पश्चात कार्यकारी आईटर में उपकरण की हेल्प की रक्षा तथा सुविधाओं को बनाए रखने के लिए ओएंडएम गतिविधियां आवश्यक थीं।

उत्तरो की इस तथ्य के संदर्भ में समीक्षा की जानी है कि दो माह के विस्तार को पीएजी द्वारा दर्शाए गए अधिक समय को कम करने के एक उपाय के रूप में नहीं अपितु बीओओटी ठेकेदार के अनुरोध पर मंजूर किया गया था। इसके अलावा, अनिवार्य ओएंडएम गतिविधियों को बीओओटी ठेकेदार द्वारा छः माह की अवधि हेतु उसकी लागत पर किया जाता है, क्या अनुबंध के अनुसार निर्धारित आरम्भ के विस्तार के लिए कम्पनी को चुना गया था। इसका उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि पीडीआरपी की सम्पूर्ण प्रत्यक्ष उन्नति जुलाई 2010 की समाप्ति पर निर्धारित 33.31 प्रतिशत उन्नति के प्रति 23.10 प्रतिशत थी।

इस प्रकार, तथ्य यह है कि कम्पनी निर्धारित प्रारम्भ का विस्तार करने के उपलब्ध अवसर का उपयोग करने में विफल हुई जिसे बीओओटी अनुबंध के लिए छः माह हेतु ₹ 12.10 करोड़ के ओएंडएम प्रभारों के भुगतान से रोका जा सकता था।

मंत्रालय को दिसम्बर 2014 में मामला सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2015)।

3.3 कर काटने की घटी हुई दर के संदर्भ में एल1 बोलीदाता के साथ बातचीत करने में कम्पनी की विफलता के साथ संयोजित अपूर्ण निविदा दस्तावेज परिहार्य व्यय का कारण बने।

कम्पनी के निविदा दस्तावेज अपूर्ण थे क्योंकि बोलीदाताओं से कर तथा शुल्को का समावेशी उद्धरण मूल्य पूछा गया था। इसके अलावा, कम्पनी कर कटौती दर को कम करने के संशोधन के संदर्भ में मूल्य घटाने के लिए मै. बेसेल पोलियोलेफाइन, इटालिया, इटली, एल 1 बोलीदाता से बातचीत करने में विफल हुई जिससे ₹ 9.56 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (दी कम्पनी) ने पाराद्वीप रिफाइनरी (पीडीआरपी) पर अपनी पोलीप्रोपीलेन (पीपी) यूनिट के लिए प्रक्रिया लाइसेंसर की व्यवस्था करने के लिए सीमित निविदा पूछताछ/नोटिस आमंत्रण निविदा (एनआईटी) जारी किया (अक्तूबर 2005)। बोलीदाताओं को 15 फरवरी 2006 तक अपने ऑफर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था तथा पृथक रूप से बोली मूल्य में सम्मिलित डब्ल्यूएचटी की दर तथा राशि को दर्शाने के बजाय सकल कर काटना (डब्ल्यूएचटी) उद्धरित करना आवश्यक था। एल1 बोलीदाता होने के नाते मै. बेसेल पोलियोलिफाइन इटालिया, इटली (बेसेल) को ₹ 169.60 करोड़¹ के मूल्य पर कार्य दिया गया था।

चूंकि बेसेल पहले ही कम्पनी की पानीपत रिफाइनरी में इसी तरह की सेवाएं दे रहा था अतः इसने पानीपत रिफाइनरी के संदर्भ में लागू रूप में ऐसे नियमों तथा शर्तों के साथ मूल्य को स्वीकार किया। पानीपत रिफाइनरी के संदर्भ में लागू डब्ल्यूएचटी की दर रॉयल्टी के लिए तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस 20 प्रतिशत थी। तथापि, इस दर को 1 जून 2005 से प्रभावी सहित वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा 10 प्रतिशत (अधिप्रभार तथा उपकर को शामिल करने के पश्चात, प्रभावी दर 10.56 प्रतिशत थी।) तक कम हुई थी।

कम्पनी (बोर्ड) के निदेशक मंडल के विचार के लिए ड्राफ्ट एंजेडा नोट को स्वीकृत करते समय, महाप्रबंधक (वित्त) (जीएम) (एफ) ने देखा (अक्तूबर 2006) कि बेसेल की उद्धरित दरे 20 प्रतिशत की दर पर डब्ल्यूएचटी के समावेशी थी तथा तदनुसार 20 प्रतिशत डब्ल्यूएचटी कम करने के पश्चात भुगतान किया जाएगा। हालांकि कर प्रेषण आयकर अधिनियम के अनुसार प्रचलित दरों पर होगा परन्तु यह टिप्पणी बोर्ड को सूचित

¹ मै. बेसेल द्वारा उद्धरित आरंभिक दर ₹173.30 करोड़ थी। बातचीत के बाद मूल्य ₹ 169.60 करोड़ हो गया।

नहीं की गई जो करों एवं शुल्को सहित ₹ 169.60 करोड़ पर बेसेल को कार्य देने के लिए इसकी स्वीकृति के अनुरूप था (नवम्बर 2006)। कम्पनी ने मार्च 2007 में बेसेल के साथ एक समझौता किया।

करार के खंड 8.8 के अनुसार कम्पनी द्वारा बेसेल को भुगतान की जानी वाली सभी फीस तथा प्रभार समय-समय पर लागू रूप में किसी देय धन पर निर्धारित दरों पर भारत में लागू सभी डब्ल्यूएचटी की कटौती के अधीन थे। इसके अलावा खण्ड 8.7 के अनुसार करार की शर्तों के अनुरूप फीस का भुगतान करने में विलम्ब के मामले में, बेसेल चूक के दावा किए विवरण को निर्दिष्ट करने वाला एक लिखित नोटिस कम्पनी को दे सकता था। यदि ऐसी चूक को ऐसे नोटिस की प्राप्ति के पश्चात 60 दिनों के अन्दर कम्पनी द्वारा ठीक नहीं किया गया तो बेसेल विलम्ब की अवधि के लिए वित्त प्रभारों (लागू कानून द्वारा स्वीकृत अधिकतम राशि से अधिक नहीं) का आकलन कर सकती है।

जुलाई 2007 तथा जनवरी 2008 के दौरान उठाए बीजकों के लिए कम्पनी ने डब्ल्यूएचटी के प्रति 10.56 प्रतिशत की कटौती के पश्चात बेसेल को भुगतान किया जबकि नवम्बर 2007 तथा मार्च 2008 में उठाए बीजकों के लिए इसने 20 प्रतिशत तक डब्ल्यूएचटी में कटौती की। इसके अलावा, कम्पनी ने 20 प्रतिशत की बजाय 10.56 प्रतिशत की दर पर डब्ल्यूएचटी अपनाने के कारण किए अधिक भुगतान का प्रतिदाय करने के लिए बेसेल को कहा (फरवरी 2008)। बेसेल ने इसे स्वीकार किया तथा यूएसडी 881191 (₹ 3.54 करोड़)² का प्रेषण किया (फरवरी 2009)। तथापि, जुलाई 2009 में कर कटौती प्रमाणपत्र की प्राप्ति के पश्चात, बेसेल ने पाया कि कम्पनी ने अपने बीजकों से 20 प्रतिशत की कटौती के प्रति कर प्राधिकारियों को डब्ल्यूएचटी का केवल 10.56 प्रतिशत जमा किया था। इसलिए, बेसेल ने करार के खण्ड 8.7 के तहत यूएसडी 5,05,096 (₹ 2.30 करोड़)³ के वित्त प्रभारों की मांग की (सितम्बर 2010)।

कम्पनी ने भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल (एएसजीआई) से कानूनी मत लिया (दिसम्बर 2010)। एएसजीआई ने मत दिया कि करार की शर्तों के अनुसार, बेसेल कुल यूएसडी 1685382.20 के 9.44 प्रतिशत अन्तर को वापिस करने का हकदार था तथा कम्पनी को बेसेल के साथ बातचीत करके इसे संभव सीमा तक नीचे लाने की सलाह दी। बेसेल ने बीजकों से कम किए गए अतिरिक्त डब्ल्यूएचटी के प्रति यूएसडी 1685382.20

² रुप्रति यूएसडी की दर पर। 40.1623

³ रुदर पर। प्रति यूएसडी की 45.54

(₹ 7.60 करोड़)¹ तथा खण्ड 8.7 के तहत वित्त प्रभारों के प्रति यूएसडी 626869 (₹ 2.83 करोड़)² का दावा करने वाला कानूनी नोटिस जारी किया (फरवरी 2011)।

कोई विकल्प न छोड़ते हुए, कम्पनी ने डब्ल्यूएचटी के कारण अधिक कटौती के लिए यूएसडी 1685382.20 (₹ 7.65 करोड़)³ का भुगतान किया (मई 2011)। कम्पनी ने यूएसडी 358264 (₹ 1.91 करोड़)⁴ का भुगतान करके बेसेल के साथ बातचीत के पश्चात वित्त प्रभारों का भी निपटान किया।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि:-

- निविदा दस्तावेज अपूर्ण थे क्योंकि बोलीदाताओं को पृथक रूप से कारार हेतु दर तथा करों के प्राप्त करने के अलावा कर सहित लाइसेंस फीस उद्धरित करना अपेक्षित था।
- कर काटने की दर में कमी के संदर्भ में जीएम (एफ) की टिप्पणी के पश्चात भी कम्पनी ने लाइसेंस करार करने के समय पर डब्ल्यूएचटी की कम की गई दर के मद्देनजर लाइसेंस फीस को कम करने के लिए बेसेल के साथ किसी पत्राचार का विनिमय नहीं किया। इसके बाद, कम्पनी ने ₹ 7.65 करोड़ की सीमा तक कम हुई लाइसेंस फीस प्राप्त करने का अवसर भी खो दिया।

कम्पनी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि लाइसेंस करार को निविदा, लाइसेंसर की ऑफर तथा बोर्ड स्वीकृति के अनुसार क्रियान्वित किया गया था। जीएम (एफ) की टिप्पणियां न तो निविदा दस्तावेज के अनुसार थी न ही बेसेल के ऑफर के अनुसार थी तथा इसलिए लिखित दस्तावेज के अभाव में इस पर एजेंडा नोट में विचार नहीं किया जा सकता था।

उत्तर की इस तथ्य के प्रति समीक्षा की जाने की आवश्यकता है कि कर काटने की दर में भिन्नता के विषय में जीएम (एफ) के नोट से यह स्पष्ट संकेत कि इस पर बेसेल तथा लागू वास्तविक दर द्वारा विचार किया जाएगा, पाने के बावजूद कम्पनी ने बेसेल के साथ इस मामले को स्पष्ट नहीं किया तथा ₹ 9.56 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। चूंकि बेसेल ने उन्हीं नियमों तथा शर्तों को स्वीकार किया था जो पानीपत रिफाइनरी जहां

¹ रप्रति यूएसडी की दर पर। 45.106

² रप्रति यूएसडी की दर पर। 45.106

³ रप्रति यूएसडी की दर पर। 45.39

⁴ रप्रति यूएसडी की दर पर। 53.31

डब्ल्यूएचटी कटौती 20 प्रतिशत थी, के संदर्भ में लागू की गई थी, कम्पनी ने जीएम(एफ) की टिप्पणी का संज्ञान लिया तथा डब्ल्यूएचटी की घटी हुई दर के संदर्भ में करार करते समय बेसेल के साथ आगे बातचीत की तथा ₹ 9.56 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को रोका।

इस प्रकार, अपूर्ण निविदा दस्तावेज तथा कर काटने की घटी हुई दर के संदर्भ में बेसेल के साथ बातचीत करने की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 9.56 करोड़⁵ का परिहार्य व्यय हुआ।

मंत्रालय को दिसम्बर 2014 में मामला सूचित किया गया, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2015)।

3.4 फ्लू गैस कूलर से परिकल्पित लाभों की प्राप्ति न होना

कम्पनी बार-बार विफलता के कारण फ्यूल की अधिक खपत के कारण फ्लू गैस कूलर (एफजीसी) से अभीष्ट लाभ प्राप्त नहीं कर सकी। इसके अलवा ₹ 7.26 करोड़ की लागत पर भेल के परामर्श के विपरीत अकेले एफजीसी की ट्यूबों के बदलाव ने अपेक्षित परिणाम नहीं दिया तथा यह अनावश्यक हो गया है क्योंकि कम्पनी ने नई एफजीसी यूनिट संस्थापित करने का निर्णय किया है।

फ्लू गैस कूलर (एफजीसी) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) की बरौनी रिफाइनरी की रिसाइक्लिंग फ्लूहाइज़ेट केटेलाइटिक क्रेकिंग यूनिट का एक भाग है जिसमें फ्लू गैस की थर्मल एनर्जी को रिफाइनरी की प्रसंस्करण यूनिटों में उपयोग के लिए हाई प्रेशर सुपरहीटिड स्टीम का उत्पादन करके कवर किया जाता है। एफजीसी के कार्यकारी न होने के मामले में, लगभग 75 एमटी/घंटा तक स्तम्भ उत्पादन की हानि होगी जिससे रिफाइनरी की फ्यूल खपत में वृद्धि होगी। आरएफसीसीयू के आरम्भ से एफजीसी की लिकेज का भी प्रायः सामना किया गया। अगस्त 2002 तथा जून 2011 के बीच ऐसी 23 विफलताएं थी। उक्त लिंकेजों के लिए कारकों की आरम्भिक रूप से सेमसंग (एलएसटीके ठेकेदार) तथा एल्सटॉम (मूल उपकरण निर्माता) द्वारा जांच (2003 तथा 2004) की गई थी। दोनों एजेंसियों ने बताया कि एफजीसी की ट्यूबे सल्फर वाली गैसों के संघनन के कारण संक्षारण द्वारा क्षतिग्रस्त हुई थी। यह भी बताया गया कि बॉयलर में वाइब्रेशन थी तथा बॉयलर के अन्दर कुछ ट्यूबे अपरिचालन अवस्था में भी दोलन करती पाई गई थी। कम्पनी ने एफजीसी की विफलता के लिए डिजाइन अध्ययन आदि करने के लिए थर्मेक्स बेबकॉक एंड विलकॉक (टीबीडब्ल्यू) से अनुरोध किया (नवम्बर 2004)। टीबीडब्ल्यू ने ऐसे

⁵ (डब्ल्यूएचटी पर अधिक कटौती के प्रति ₹ 7.65 करोड़ + वित्त प्रभारों के प्रति ₹ 1.91 करोड़)

अध्ययन के लिए एफजीसी के तीन माह शटडाउन के लिए प्रस्ताव के साथ अपना ऑफर प्रस्तुत किया (जनवरी/फरवरी 2005)। हालांकि ऐसे प्रस्ताव को एफजीसी की लम्बी आउटेज अवधि को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नहीं किया गया। भैल जिसको मामला भेजा गया था, ने मत दिया (जुलाई 2006) कि स्टीम/मड इमो के पूर्ण तथा नए डिजाइन तथा एफजीसी की विभिन्न ट्यूबों के साथ पुनः स्थापन एक स्थाई उपाय होगा। आगे यह कहा गया कि अकेले ट्यूबों की पुनः स्थापना एफजीसी की विश्वनीयता को सुनिश्चित नहीं करेगी।

हालांकि, कम्पनी ने जुलाई से नवम्बर 2011 के दौरान ₹ 7.62 करोड़ की लागत पर एफजीसी ट्यूबों को बदला। ट्यूबों को बदलने के बावजूद इसमें बार-बार विफलताएं थीं तथा जनवरी 2012 से जून 2014 की समयावधि के दौरान एफजीसी 257 दिनों तक अक्रिय रहा।

एफजीसी की लगातार विफलता के संदर्भ में, प्रबंधन ने सम्पूर्ण यूनिट को बदलने का निर्णय लिया। कम्पनी ने ₹ 105 करोड़ की अनुमानित लागत पर एफजीसी की पुनः स्थापना के लिए स्वीकृति के अनुसार 20 मार्च 2013 को अपनी 596 बोर्ड बैठक में यह चिंता व्यक्त की कि ऐसी चूंक का इंजीनियरिंग सलाहकार अथवा संस्थापन के समय निर्माण दल द्वारा पता नहीं लगाया गया था इसलिए बोर्ड ने अपेक्षा की कि एक विस्तृत जांच की जानी चाहिए।

बोर्ड के निर्देशों के अनुसरण में, एक विस्तृत जांच की गई थी जिसने यह निष्कर्ष निकाला कि यह एक विनिर्माण चूंक थी। समिति ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि क्रियान्वयन के दौरान गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व मैं इंजीनियरस इंडिया लिमिटेड के नाम की परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) पर था।

यह मामला एफजीसी में चूंकों को पहचानने में प्रबंधन की विफलता को दर्शाता है। तदर्थ निर्णय जहां नवम्बर 2011 के दौरान ₹ 7.62 करोड़ का एक निवेश किया गया था, लेने ने भी समस्या के मुख्य कारण का पता नहीं लगाया। इसके अलावा, यह मामला निष्पादन में कमियों हेतु पीएमसी के प्रति उपयुक्त कार्रवाई करने में प्रबंधन की अयोग्यता को दर्शाता है।

मंत्रालय को अक्तुबर 2014 में मामला सूचित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

ऑयल इंडिया लिमिटेड

3.5 मानदण्डों से अधिक मूल तलछट तथा जल मात्रा गले कच्चे तेल की बिक्री पर स्वीकृत छूट के कारण राजस्व हानि

निर्धारित सीमा के अन्दर कच्चे तेल की आपूर्तियों में मूल तलछट तथा जल मात्रा को निहित करने में समय पर सुविधाएं देने में विफलता के परिणामस्वरूप 2008-09 से 2013-14 के दौरान ₹ 105.55 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

ऑयल इंडिया लिमिटेड (दी कम्पनी) प्राथमिक रूप से देश तथा विदेश दोनों में कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज, उत्पादन तथा परिवहन में संलग्न है। कच्चे तेल में मूल तलछट तथा जल (बीएस एंड डब्ल्यू) की विद्यमानता तेल रिफाइनरियों को आपूर्ति किए गए तेल की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इसलिए यह कच्चे तेल की गुणवत्ता सुधारने के लिए अनिवार्य डिहाइड्रेशन सुविधाएं बनाने के लिए तेल उत्पादन कम्पनियों के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, पोस्ट व्यवस्थापन मूल्य तंत्र शासन (2002) के तहत, यह 0.2 प्रतिशत तथा इससे कम पर कच्चे तेल में बीएसएंडडब्ल्यू सामग्री को बनाए रखने के लिए तेल उत्पादन कम्पनियों के लिए आवश्यक हो गया क्योंकि बिक्री मूल्य मानदण्डों से अधिक कच्चे तेल में इसकी सामग्री के मामले में स्लैब दरों पर छूट के अधीन था।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2012) कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, कम्पनी का 35 प्रतिशत उत्पादन ग्रेटर तेंगाखत क्षेत्र, 60 प्रतिशत नहर कातिया क्षेत्र तथा शेष 5 प्रतिशत शलमारी तथा मोरान क्षेत्र से था जिसके पश्चात लगभग उत्पादन संस्थापनों में प्रसंस्करण को मेन ट्रंक पाइपलाइन के माध्यम से रिफाइनरियों को बढ़ाते हुए वितरण के लिए नहर कातिया क्षेत्र में केंद्रीय टैक फार्म को ट्रांसपोर्ट किया गया हालांकि ऑयल रिफाइनरियों को वितरित कच्चे तेल में अपेक्षित स्तर से ज्यादा बीएसएंडडब्ल्यू निहित थी जिसके लिए कम्पनी ने वर्षों के लिए ग्राहकों को छूट स्वीकृत की थी।

अभिलेखों से यह देखा गया कि:

- कच्चे तेल में बीएसएंडडब्ल्यू की मात्रा का पता लगाने के लिए, कम्पनी ने सुरक्षा मानदण्डों तथा अन्य संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नहरकातिया क्षेत्र में मौजूदा केंद्रीय टैक फार्म पर कच्चे तेल डिहाइड्रेशन सुविधाओं के संस्थापन के लिए व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया (मार्च 2005)। समिति ने नहरकातिया क्षेत्र में केंद्रीय टैक फार्म में एक डिहाइड्रेशन

सुविधा के संस्थापन की सिफारिश की (जून 2005)। चूंकि केंद्रीय टैक फार्म बहुत पुराना था तथा साइट सुरक्षा मानदण्डों को पूरा नहीं कर सकी, अतः ऑयल कोलेक्टिंग स्टेशन-3 (ओसीएस-3) पर एक वैकल्पिक साइट को डिहाइड्रेशन सुविधा के साथ द्वितीय टैक फार्म के संस्थापन के लिए चयनित किया गया था, हालांकि इसे जल्दी ही पर्यावरण विचारधारणा पर रद्द कर दिया गया तथा नाहोलिया में एक नई जगह का चयन किया गया था। कम्पनी भूमि संबंधी समस्याओं के कारण नाहोलिया पर अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकी तथा प्लांट लेआउट की पुनःडिजाइनिंग द्वारा केंद्रीय गैस संग्रहण स्टेशन (सीजीजीएस) (मधुबन चाय एस्टेट, असम के समीप) पर एक नई जगह पर परियोजना को स्थानांतरित किया ताकि प्लांट उपलब्ध भूमि में फिट किया जाए। हालांकि, कथित डिहाइड्रेशन सुविधा को नहरकातिया क्षेत्र में उत्पादित कच्चे तेल की केटरिंग के लिए अभी स्थापित किया जाना है (जुलाई 2014)।

- कम्पनी ने मई 2007 में ग्रेटर तेगांखत क्षेत्र में डिहाइड्रेशन सुविधा के साथ मध्यस्थ टैक फर्म चालू किया था परन्तु यह मई 2012 तक तेगांखात-शालमरी पाइपलाइन (टीएसपीएल) को चालू करने में विफल हुआ जो अगस्त 2005 में कार्य दल द्वारा आयोजित व्यवहार्यता पर रिपोर्ट के अनुसार मैन ट्रैक पाइपलाइन के अन्दर कच्चा तेल डालने का सर्वोत्तम विकल्प था।
- ग्रेटर तेगांखत क्षेत्र में डिहाइड्रेशन सुविधा चालू करने तथा नहरकारिता क्षेत्र में उत्पादित कच्चे तेल के लिए डिहाइड्रेशन सुविधा चालू किए बिना टीएसपीएल परियोजना को विलम्ब से चालू करने के परिणामस्वरूप मैन ट्रैक पाइपलाइन में कच्चे तेल तथा अन्तर मध्यस्थ टैक फार्म के उपचारित कच्चे तेल के साथ केन्द्रीय टैक फर्म के कच्चे तेल का अन्तर मिश्रण हुआ।

यद्यपि नहरकारिता क्षेत्र में उत्पादित कच्चे तेल के लिए डिहाइड्रेशन सुविधा बनाने के लिए कार्य दल की सिफारिश (जून 2005) से नौ से अधिक वर्ष बीत गए हैं, तथापि सुविधा का निर्माण होना शेष है। कच्चे तेल में बीएसएंडडब्ल्यू मात्रा घटाने के लिए समय पर अनिवार्य सुविधाओं के निर्माण के लिए कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप 2008-09 से 2013-14 की समयावधि के दौरान आपूर्ति किए कच्चे तेल के असाधारण मानदण्डों में बीएसएंडडब्ल्यू मात्रा के लिए विभिन्न रिफाइनरियों को स्वीकृत छूट के कारण ₹ 105.55 करोड़ का पूर्वगामी राजस्व हुआ।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2013/फरवरी 2014) कि:

- ओआईएल प्रबंधन गंभीर रूप से उच्च बीएसएंडब्ल्यू मात्रा के कारण कम्पनी की राजस्व हानि से चिंतित था। ओआईएल द्वारा कच्चे तेल के असाधारण मानदण्डों में बीएसएंडब्ल्यू मात्रा के लिए विभिन्न रिफाइनरियों द्वारा प्रभावित कटौतियों के कारण हानि जानबूझ कर नहीं की गई थी परन्तु यह ओआईएल के नियंत्रण से परे तकनीकी कारकों तथा कुछ पर्यावरणीय मामलों के कारण थी।
- नहरकारिता केन्द्रीय टैक फार्म पर कच्चा तेल डिहाइड्रेशन सुविधा की स्थापना के लिए कार्य दल की सिफारिश की स्थानीय प्रबंधन द्वारा समीक्षा की गई थी तथा ओआईएल ने केन्द्रीय टैक फार्म तथा श्रेष्ठ सुरक्षा मामलों का संज्ञान लेकर एक वैकल्पिक क्षेत्र तलाशने का निर्णय लिया।
- ओआईएल के कुल उत्पादन का वर्तमान 60 प्रतिशत नहरकारिता पर केन्द्रीय टैक फार्म में हैंडल किया जा रहा था जहां डिहाइड्रेशन सुविधा के लिए अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधा नहीं थी। एक बार द्वितीय टैक फार्म परियोजना को चालू किया जाए, तो कच्चे माल के वितरण की सभी लाइनें जो वर्तमान में नहरकारिता केन्द्रीय टैक फार्म से जुड़ी थी, को द्वितीय टैक फार्म से दिशा परिवर्तित किया जाएगा तथा केवल संसाधित कच्चे तेल को रिफाइनरियों को बाद के वितरण के लिए द्वितीय टैक फार्म से नहरकारिता केन्द्रीय टैक फार्म को वितरित किया जाएगा। इसलिए, अंतर मध्यस्थ टैक फार्म तथा द्वितीय टैक फार्म दोनों को अपेक्षित स्तर से कम बीएसएंडब्ल्यू की मात्रा रखना अपेक्षित था।
- ओआईएल ग्राहकों को गुणवत्ता कच्चे तेल की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस इच्छा के साथ अन्तर मध्यस्थ टैक फार्म तथा द्वितीय टैक फार्म जैसी परियोजनाओं को लिया गया था। नए द्वितीय टैक फार्म की स्थापना की लागत लगभग ₹ 352 करोड़ थी, कम्पनी प्रतिकूल पर्यावरण के बीच एक केपेक्स तथा ओपेक्स तीव्र बीएसएंडब्ल्यू कमी यूनिट की स्थापना करने के लिए प्रयास के अलावा जुर्माना भुगतने पर विचार कर सकती थी। हालांकि, एक विश्वसनीय कम्पनी होने के नाते, ओआईएल ने रिफाइनरी को आपूर्ति किए कच्चे तेल में बीएसएंडब्ल्यू मात्रा को कम करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की स्थापना हेतु कार्रवाई आरम्भ की थी। कम्पनी द्वारा आरम्भ की गई कार्रवाई के परिणाम भविष्य में परिलक्षित होगे।

प्रबंधन/मंत्रालय का तर्क निम्नलिखित के संदर्भ में तर्कसंगत नहीं है:

- लेखापरीक्षा ने जोर दिया है कि विश्वसनीय कम्पनी होने के नाते ओआईएल उपयुक्त समय के अन्दर तकनीकी कारकों तथा पर्यावरणीय मामलों को संबोधित करने में सक्षम होगा तथा यह ग्राहकों को गुणवत्ता कच्चा तेल की आपूर्ति करने में लगभग एक दशक नहीं लेगा।
- तथ्य यह है कि कम्पनी को अभी नौ वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी नहरकारिता क्षेत्र के कच्चे तेल के डिहाइड्रेशन के लिए आवश्यक सुविधाएं स्थापित करनी हैं जो जून 2005 में कार्य दल द्वारा सिफारिश की गई थी। तेल संग्रहण स्टेशन-3 पर डिहाइड्रेशन सुविधा के साथ द्वितीय टैंक फार्म के निर्माण के लिए साइट केन्द्रीय टैंक फार्म, नहरकारिता के स्थान पर अगस्त 2005 में अनुबंधित था। परन्तु इसे अभी चालू किया जाना है क्योंकि पर्यावरणीय तथा तकनीकी आधार पर परियोजना के लिए साइट में बार-बार परिवर्तन थे जिसने परियोजना योजना तथा प्रबंधन में कमियों को दर्शाया।
- किसी भी परियोजना में पर्यावरण तथा भूमि संबंधी समस्याएं सामान्य हैं। ओआईएल इसी पर्यावरण में कच्चे तेल की निकासी तथा उत्पादन जैसी अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के साथ जारी है तथा इन मामलों को स्थानीय प्रशासनिक प्राधिकरणों के साथ बेहतर समन्वय के माध्यम से निपटाया जा सकता था।
- डिहाइड्रेशन सुविधा की स्थापना के लिए ₹ 352 करोड़ के केपेक्स को 31 मार्च 2013 तक नकद वाली ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा ₹ 12,133 करोड़ के समान नकद जैसी अधिक नकद वाली कम्पनी के लिए एक महत्वपूर्ण मामला नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ₹ 92.66 करोड़ के निवेश के पूर्ण लाभ पहले ही अंतर मध्यस्थ टैंक फार्म को दिए गए थे तथा तेंगाखात-शलमारी पाइपलाइन परियोजना केवल तभी संभव होगी जब द्वितीय टैंक फार्म को अन्य विलम्ब के बिना परिचालित किया जाए।
- अन्य अपस्ट्रीम ऑयल सेक्टर कम्पनी, तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) के संदर्भ में लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2008 की रिपोर्ट संख्या 11 का पैरा 14.7.1) में ऐसे मामले बताए गए थे। ओएनजीसी ने कच्चे तेल की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं क्योंकि स्वीकृत छूट को 2009-10 में ₹ 30.47 करोड़ से 2012-13 में ₹ 7.47 करोड़ तक नीचे लाया गया था। इसके विपरीत, ओआईएल द्वारा स्वीकृत छूट 2008-09 में ₹ 12.53 करोड़ से 2013-14 में ₹ 21.72 करोड़ तक बढ़ी है।

इस प्रकार, नहरकारिता क्षेत्र के कच्चे तेल के डिहाइड्रेशन के लिए आवश्यक सुविधाओं के संस्थापन में विलम्ब के कारण, कम्पनी ने गुणवत्ता मानदण्डों को अनुरक्षण न करने के लिए रिफाइनरियों को छूट के तरीके से पूर्वगामी राजस्व को जारी रखा।

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड

3.6 देयताओं का परिहार्य पुर्वान्मान तथा चूककर्ता ठेकेदार के साथ निपटान करार में प्रतिकूल शर्तों की स्वीकृति के कारण तेल तथा गैस धारण के दो क्षेत्रों के विकास में परिहार्य व्यय करना

तेल तथा गैस वहन क्षेत्र के गहन तथा उथले जल के विकास के भाग के रूप में इंजीनियरिंग तथा विनिर्माण कार्यों के लिए एक ठेका देने (नवम्बर 2004) तथा बाद में ठेकेदार द्वारा कार्य को बाधित करने (जून 2006) के कारण ठेके की समाप्ति (जून 2007) के अनुसार, तेल तथा प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने उचित परिश्रम किए बिना चूककर्ता ठेकेदार के साथ एक निपटान समझौता किया था जिससे इसने केवल यूएसडी 0.7 मिलियन की कमी प्राप्त की जबकि यह अक्तूबर 2008 में अपने बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वीकृति विसामान्यता में करार को लागू करने में यूएसडी 66.34 मिलियन (₹ 342.34 करोड़) का अतिरिक्त व्यय करने के अलावा विवादों के ‘आउट ऑफ कोर्ट’ समाधान के माध्यम से ठेकेदार को निपटान राशि यूएसडी 32 मिलियन (₹ 149.37 करोड़) का भुगतान करके समाप्त हुआ। व्यय (₹ 342.34 करोड़) अनियमित था क्योंकि इसके पास बोर्ड की स्वीकृति नहीं थी तथा यह ओएनजीसी के वित्तीय हित में नहीं था। इसके अतिरिक्त, ओएनजीसी ने उपकरणों के किराए के भुगतान पर यूएसडी 13.7 मिलियन (₹ 63.79 करोड़) का परिहार्य व्यय किया था जो पहले ही समाप्त करार के तहत ठेकेदार द्वारा पूर्ण किए कार्य के लिए प्रदत्त राशि में सम्मिलित था। अप्रैल 2010 की संशोधित लक्ष्य तिथि के प्रति तेल तथा गैस क्षेत्रों के विकास हेतु परियोजना अपूर्ण थी (जनवरी 2015) जबकि ₹ 1500 करोड़ प्रति वर्ष के परिनियोजित राजस्व की वसूली नहीं हुई (जनवरी 2015)।

3.6.1 प्रस्तावना

3.6.1.1 तेल तथा प्राकृतिक गैस लिमिटेड (ओएनजीसी) ने यूएसडी 215.25 मिलियन (₹ 992.91 करोड़) की लागत पर कृष्णा गोदावरी घाटी में (i) एक गहरे जल क्षेत्र (जी1) तथा (ii) एक अर्थले जल क्षेत्र (जीएस 15) के विकास के संबंध में इंजीनियरिंग तथा निर्माण कार्य के लिए नवम्बर 2004 में मै. क्लॉफ इंजीनियरिंग लिमिटेड, आस्ट्रेलिया (सीईएल) के साथ एकमुश्त टर्नकी आधार पर एक करार किया (नवम्बर 2004)।

समापन की निर्धारित तिथि अप्रैल 2006 थी। यह करार जी1 तथ जीएस 15 क्षेत्रों की समेकित विकास परियोजना का एक भाग था जिसमें विभिन्न ठेकेदार के साथ तेल के कुएं की पूर्णता तथा ऑन लैंड तेल निर्यात पाइपलाइन के लिए करार सम्मिलित थे तथा इसने कुल परियोजना लागत का 70 प्रतिशत बनाया। ओएनजीसी द्वारा अपने दम पर ड्रिलिंग की गई थी।

3.6.1.2 चूंकि सीईएल ने जून 2006 से कार्य को बाधित किया था अतः ओएनजीसी ने सीईएल द्वारा प्रस्तुत परफोरमेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) को भुनाने के लिए कार्रवाई करके जून 2007 में करार को समाप्त किया था तथा सीईएल को अधिसूचित किया कि शेष कार्य को बाद के जोखिम तथा लागत पर पूर्ण किया जाएगा। ओएनजीसी के करार समाप्त करते हुए यह अनुमानित किया था कि 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया था तथा इसने उसके बाद सीईएल को यूएसडी 142.69 मिलियन (₹ 632.11 करोड़) का भुगतान किया था।

3.6.1.3 सीईएल ने मध्यस्थता के लिए ओएनजीसी द्वारा पीबीजी का उपयोग करने के साथ-साथ करार की समाप्ति का मामला ले लिया (जून 2007)। ओएनसीजी ने अन्य बातों के साथ उपकरणों तथा सामग्री जो सीईएल के साथ थी, का संरक्षण प्राप्त करने के लिए मुम्बई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की (अगस्त 2007) ताकि यह वैकल्पिक साधनों के माध्यम से पूर्ण कार्य को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो सके।

3.6.1.4 इसके ‘अन्तरिम’ आर्डर (सितम्बर-अक्टूबर 2007) में, उच्च न्यायालय ने शेष परियोजना सामग्री के संरक्षण के संदर्भ में यथास्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया कि न तो ओएनजीसी को संरक्षण प्राप्त होगा न सीईएल किसी परियोजना सामग्री के निपटान में सक्षम होगा। इस आदेश के बावजूद, सीईएल ने कुछ परियोजना सामग्री का निपटान किया तथा ओएनजीसी ने सीईएल के प्रति उच्च न्यायालय के समक्ष (अक्टूबर 2007) एक अवमानना याचिका दायर की थी।

3.6.1.5 ओएनजीसी ने सीईएल के साथ एक ‘आउट ऑफ कोर्ट’ समझौते की संभावनाओं का पता लगाने का निर्णय लिया (अप्रैल 2008) क्योंकि यह ज्ञात हुआ कि इसने परियोजना पर लगभग ₹ 1,000 करोड़ व्यय किए थे तथा परियोजना समापन में उस सेटबैक तेल तथा गैस के उत्पादन में विलम्ब करेगा। ओएनजीसी ने अपेक्षा की कि तब ये अप्रैल 2010 तक परियोजना के समापन में सक्षम होगा तथा ₹ 1500 करोड़ प्रतिवर्ष के आदेश पर राजस्व भी अर्जित करेगा। तदनुसार, ओएनजीसी ने जून 2008 तथा सितम्बर 2008 के बीच सीईएल के साथ चार बार वार्ता की थी।

3.6.1.6 करार के समापन के प्रति सीईएल द्वारा चर्चा करने पर तथा इसी बीच पीबीजी भुनाने के लिए ओएनजीसी द्वारा प्रयास करने पर, जब ओएनजीसी ने यूएसडी 21.535 मिलियन (₹ 91.39 करोड़) जारी किए तब आस्ट्रेलिया की संघीय अदालत ने पीबीजी भुनाने के लिए ओएनजीसी को स्वीकृति दी (जुलाई 2008)।

3.6.1.7 सीईएल के साथ बातचीत निम्न पर केंद्रीय थी (i) ओएनजीसी की उपकरण/सामग्री तथा सेवाओं में शीर्षकों तथा अधिकारों की प्राप्ति (ii) सीईएल को देय निपटान राशि तथा (iii) सीईएल के लिए ट्रीरंनिगदूल (टीआरटी) तथा स्थापना, वर्कओवर और नियंत्रण तंत्र (आईडब्ल्यू ओसीएस) हेतु किराए का भुगतान।

3.6.1.8 ओएनजीसी द्वारा सीईएल के साथ बातचीत का चौथा दौर तब किया गया (सितम्बर 2008) जब निम्नलिखित शर्तों पर सहमति हुई:

- (i) सीईएल को देय निपटान राशि यूएसडी 32.7 मिलियन होगी;
- (ii) ओएनजीसी को अब उपकरण/सामग्री से संबंधित निरीक्षण, समापन, नवीनीकरण प्रतिस्थापन, परिवहन तथा बीमा की लागत सहित सभी भारतीय विक्रेताओं तथा उप-ठेकेदारों को सीईएल से देय भुगतान के लिए वित्तीय देयताओं तथा उत्तरदायित्वों का मानना होगा, तथा
- (iii) सीईएल को अपतटीय विक्रेताओं तथा उप-ठेकेदारों के साथ केवल सीईएल के करारों के संदर्भ में वित्तीय देयताओं तथा उत्तरदायित्वों को मानना होगा। यहां भी सीईएल अपटीय उपकरण/ सामग्री के निरीक्षण, परिवहन तथा बीमा की पूर्व कार्य लागत के प्रति देयताओं का वहन नहीं करेगा।

3.6.1.9 ओएनजीसी ने निपटान की इन शर्तों के लिए अपने निदेशक मंडल (बोर्ड) से स्वीकृति प्राप्त की (अक्तूबर 2008)। हालांकि निपटान की स्वीकृत शर्तों को सम्मिलित करते हुए ओएनजीसी द्वारा सीईएल के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

3.6.1.10 ओएनजीसी ने सीईएल के साथ आगे बातचीत की थी (नवम्बर 2008) तथा निपटान की आगामी संशोधित शर्तों पर बोर्ड की सहमति के बिना अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की स्वीकृति के साथ सहमति हुई। बोर्ड की स्वीकृति के बिना सीएमडी की अनुमति (जून 2009) सहित सीईएल के साथ निपटान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए (दिसम्बर 2009)। निपटान की शर्तें निम्नानुसार थीं:

- (i) निपटान राशि यूएसडी 32.7 मिलियन से यूएसडी 32 मिलियन तक कम हुई थी जिसका तात्पर्य यूएसडी 0.7 मिलियन की कमी है ;

- (ii) सीईएल केवल स्थानों (भारत तथा विदेश) में समझौतों में निर्दिष्ट अनुसार उपकरणों/सामग्रियों की आपूर्ति करेगा बशर्ते वो समझौते के क्रियान्वयन के 42 वें दिन हो;
- (iii) सीईएल तथा ओएनजीसी समझौते पर हस्ताक्षर करने के 39 दिनों के अन्दर उनकी गुणवता तथा विधमानता को सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट उपकरण/सामग्री की संयुक्त रूप से जांच करेगे;
- (iv) निपटान समझौते पर हस्ताक्षर करने से 42 दिनों की समाप्ति पर, ओएनजीसी सभी दायित्वों सहित उन सभी वित्तीय तथा अन्य देयताओं को मानेगा जो सीईएल पर पहले लगाई गई थी, तथा
- (v) सीईएल, ओएनजीसी को केवल निर्धारित उपकरण/सामग्री तथा सेवाओं से संबंधित परियोजना दस्तावेजों तथा सत्यापित दस्तावेजों, नियत कब्जा, शीर्षक तथा अधिकार देगा।

ओएनजीसी ने निपटान¹ के लिए दिसम्बर 2009 में यूएसडी 32 मिलियन (₹ 149.37 करोड़) का भुगतान किया।

3.6.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.6.2.1 लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि दिसम्बर 2009 में निपटान करार को ओएनजीसी बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था। दिसम्बर 2009 के निपटान करार की शर्तों के साथ सितम्बर 2008 में निर्णित निपटान की शर्तों जो अक्टूबर 2008 में बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई थी, की तुलना का निम्नलिखित तालिका में मूल्यांकन किया जा सकता है:

क्रम सं.	मामला	बोर्ड द्वारा स्वीकृत निपटान (अक्टूबर 2008)	दिसम्बर 2009 का निपटान	टिप्पणियां
1.	सीईएल को देय निपटान राशि	यूएसडी 32.7 मिलियन	यूएसडी 32 मिलियन	यद्यपि इसमें यूएसडी 0.7 मिलियन (₹3.26 करोड़) की कमी थी, तथापि ओएनजीसी ने अपतटीय उपकरण/सामग्री की वारंटियों की खरीद, नवीनीकरण/पुनर्मूल्यन के लिए

¹ यूएसडी 32 मिलियन की राशि में सीईएल को प्रदत्त 23 मिलियन यूएसडी तथा कर देयताओं के प्रति आयकर प्राधिकारियों को प्रदत्त यूएसडी 9 मिलियन सम्मिलित हैं

				अतिरिक्त देयता को स्वीकारते हुए समापन किया।
2.	उपकरण/सामग्रियों की आपूर्ति	सीईएल को सभी 'शेष' तटवर्ती तथा अपतटीय उपकरण/सामग्रियों की आपूर्ति करनी थी।	सीईएल को केवल उन उपकरणों/सामग्रियों की आपूर्ति करनी थी जो करार में निर्दिष्ट थी तथा सभी 'शेष' ² उपकरण/सामग्रियों की नहीं। तदनुसार ओएनजीसी ने लागत का निर्धारण किए बिना स्वयं अतिरिक्त देयता वहन की।	ओएनजीसी ने सीईएल को अपनी देयताओं को कम करने की स्वीकृति दी क्योंकि इसे अब केवल उन उपकरणों/सामग्रियों की आपूर्ति करना अपेक्षित था जो करार में निर्दिष्ट थी तथा सभी 'शेष' ² उपकरण/सामग्रियों की नहीं। तदनुसार ओएनजीसी ने लागत का निर्धारण किए बिना स्वयं अतिरिक्त देयता वहन की।
3.	अपतटीय विक्रेताओं/उप-ठेकेदारों के प्रति वित्तीय देयता	सीईएल को अपतटीय उपकरण/सामग्री की जांच, परिवहन तथा बीमा की लागत को छोड़कर इसके लिए पूर्ण उत्तरदायित्वों को मानना पड़ा।	ओएनजीसी ने करार के 42 दिन समाप्त हो जाने पर अब सभी उत्तरदायित्वों को माना था	इस प्रकार, अपतटीय उपकरण/सामग्री की हालत तथा प्रयोज्यता सीईएल के अलावा ओएनजीसी का उत्तरदायित्व हो गया था। ओएनजीसी ने करार के तहत उनकी वास्तविक हालत या कार्य हेतु आवश्यक संख्या को सत्यापित किए बिना उपकरण/सामग्री को स्वीकार किया, यद्यपि इसमें प्रत्यक्ष सत्यापन करने के लिए ओएनजीसी के पास उपलब्ध समय से एक वर्ष अधिक था। यह ओएनजीसी पर लागत के निर्माण के बिना सीईएल को प्रदत्त एक अतिरिक्त लाभ था।

3.6.2.2 दिसम्बर 2009 के निपटान करार में ओएनजीसी द्वारा मानी गई अतिरिक्त वित्तीय देयताएं

लेखापरीक्षा ने अतिरिक्त वित्तीय देयताओं (निपटान राशि में यूएसडी 0.7 मिलियन की कमी की गणना करने के पश्चात) की सीमा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जो ओएनजीसी ने स्वयं उन लाभों जो दिसम्बर 2009 के करार में सीईएल का दिए गए थे, के कारण लिए थे जिन्हें बोर्ड की स्वीकृति नहीं थी।

² ऐसे उपकरण /सामग्री परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक थी जिसका कब्जा सीईएल ने नवम्बर 2004 से जून की मूल करार अवधि के दौरान ओएनजीसी को हस्तांतरित नहीं किया गया था।

- (i) ओएनजीसी ने स्वीकार किया था (दिसम्बर 2009) कि सीईएल केवल निपटान करार के अनुसार निर्दिष्ट उपकरण/ सामग्री की आपूर्ति करेगा। परिणामस्वरूप जीएस-15-1 डेक फेब्रिकेशन को पूरा करने के लिए आवश्यक तीन अपतटीय उपकर/सामग्री^{*} की सीईएल द्वारा आपूर्ति नहीं की गई थी जिसे यूएसडी 3.46 मिलियन (₹ 16.11 करोड़) की लागत पर ओएनजीसी द्वारा खरीदा जाना था।
- (ii) ओएनजीसी ने निपटान करार के अनुसार ‘एज इज वेयर इज’ आधार पर सीईएल से उप-समुद्र उपकरण (एसएसई) प्राप्त करने के लिए स्वीकार किया था (दिसम्बर 2009) यद्यपि इसकी वारंटी समाप्त हो गई थी। सीईएल को अक्टूबर 2008 में बोर्ड द्वारा स्वीकृत निपटान की शर्तों के अनुसार इन उपकरणों की हालत के लिए उत्तरदायी होना था। हांलाकि, ओएनजीसी को मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) द्वारा एसएसई के नवीनीकरण के कार्य पर यूएसडी 3.52 मिलियन (₹ 16.39 करोड़) का व्यय वहन (जनवरी 2011 से सितम्बर 2012 पर) करना था। यह एक अतिरिक्त देयता थी जिसे ओएनजीसी ने स्वयं लिया था जो अक्टूबर 2008 में बोर्ड द्वारा दी गई अनुमति की शर्तों से अधिक था।

3.6.2.3 दिसम्बर 2009 के लाभहीन निपटान करार के फलस्वरूप अतिरिक्त व्यय

- (i) सभी सामग्री/उपकरणों पर वारंटी समय के साथ समाप्त हो गई थी ओएनजीसी ने उन्हें प्राप्त किया था। ओएनजीसी ने निर्णय किया (फरवरी 2010) कि एसएसई हेतु वारंटी महत्वपूर्ण थी तथा इसके लिए वारंटी खण्ड के पुनःवैधीकरण के लिए ओईएम (कैमरून) से चर्चा की। विक्रेता की तुलना में अवांछनीय स्थिति में होने के नाते, ओएनजीसी मरम्मत या बदलने के लिए ओईएस को खराब एसएसई के सुधार तथा परिवहन पर व्यय करने के लिए सहमत हुआ (सितम्बर 2010) भले ही यह शर्त मानक पद्धति में एक परिवर्तन थी। एसएसई के घटकों में से एक, कैमरून वर्टिकल कनेक्टर (सीवीसी) संस्थापना में विफल हुआ (मार्च 2012) तथा ओएनजीसी को इसके सुधार तथा परिवहन पर यूएसडी 9.80 मिलियन (₹ 56.33 करोड़) का व्यय वहन करना पड़ा (जून 2013)। सितम्बर 2008 की निपटान शर्तों के अनुसार सीईएल सीवीसी सहित अपतटीय सामग्री के लिए उत्तरदायी हो सकता था। इस उत्तरदायित्व (दिसम्बर 2009 के निपटान करार के अनुसार) को स्वीकार करके, ओएनजीसी यूएसडी 9.80 मिलियन (₹ 56.33 करोड़) के

* प्रेशर रिलीफ वाल्व्स, केमिकल्स इंजेक्शन सकिड तथा वाल्स

परिहार्य व्यय के कारण बाद की शर्तों पर ओईएम के साथ चर्चा करने की लाभकारी स्थिति में था।

(ii) ओएनजीसी ने भी अपने घटकों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व को स्वीकार करने से पूर्व एसएसई की स्थिति की जांच नहीं की थी। हाइड्रोलिक पावर यूनिट (एचपीयू) नाम वाला एसएसई का अन्य घटक फैक्टरी स्वीकृति जांच (जनवरी 2011) के दौरान विफल हुआ था तथा उसे समय पर संस्थापित नहीं किया जा सका। संस्थापन को सीवीसी में निम्नलिखित यांत्रिक समस्या से 2012 वर्ष में नहीं किया जा सका (मार्च 2012) तथा 2013 वर्ष के लिए पुनःनिर्धारित किया जाना था। संस्थापन को पुनःनिर्धारित करने से निर्धारित परियोजना का अवपथन हुआ तथा इसके परिणामस्वरूप संबंधित ठेकेदार (सब सी 7) को यूएसडी 50.26 मिलियन (₹ 256.77 करोड़) की वृद्धि का भुगतान हुआ।

3.6.2.4 सीईएल को प्रदत्त निपटान राशि के एक भाग के रूप में टीआरटी तथा आईडब्ल्यूओसीएस के लिए किराए के प्रति यूएसडी 13.7 मिलियन (₹ 63.79 करोड़) किराए का परिहार्य भुगतान

सीईएल को प्रदत्त यूएसडी 32 मिलियन (₹ 149.37 करोड़) की निपटान राशि में टीआरटी तथा आईडब्ल्यूओसीएस के लिए किराए के प्रति यूएसडी 13.7 मिलियन (₹ 63.79 करोड़) सम्मिलित था जो ओएनजीसी द्वारा देय नहीं था क्योंकि उपकरणों (टीआरटी तथा आईडब्ल्यूओसीएस) के उपयोग के लिए किराए को पहले ही करार की समाप्ति तक सीईएल द्वारा किए कार्य भुगतान के एक भाग के रूप में सीईएल को भुगतान किया था।

3.6.2.5 अन्नतः ओएनजीसी ने

- (i) बोर्ड से संशोधित स्वीकृति प्राप्त किए बिना यूएसडी 0.7 मिलियन (दिसम्बर 2009 के करार में सुरक्षित ₹ 3.26 करोड़) की कमी को समायोजित करने के पश्चात अपतटीय उपकरण/सामग्री की खरीद तथा नवीनीकरण पर यूएसडी 6.28 मिलियन* (₹ 29.24 करोड़) का अतिरिक्त व्यय किया।
- (ii) इसकी शर्त या प्रयोज्यता सुनिश्चित किए बिना अपतटीय उपकरण/सामग्री का उत्तरदायित्व स्वीकार करके यूएसडी 60.06 मिलियन का उत्तरदायित्व लिया। (पैराग्राफ 3.6.2.3(i) में यूएसडी 9.80 मिलियन सहित पैराग्राफ 3.6.2.3(ii) में

* | दिसम्बर 2009 की शर्तों में प्राप्त यूएसडी 3.46 मिलियन (पैराग्राफ 2.2.1) प्लस यूएसडी 3.52 मिलियन (पैराग्राफ 2.2.2) माइनस यूएसडी 0.7 मिलियन कमी।

यूएसडी 50.26 मिलियन या ₹ 313.10 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय देयता मानकर।

- (iii) सीईएल को प्रदत्त निपटान राशि के एक भाग के रूप में टीआरटी तथा आईडब्ल्यूओसीएस हेतु किराए के प्रति यूएसडी 13.7 मिलियन (₹ 63.79 करोड़) का परिहार्य व्यय किया।

3.6.2.6 इस प्रकार, ओएनजीसी ने सीईएल के साथ करार के निपटान में यूएसडी 80.04 मिलियन (₹ 406.13 करोड़) की अतिरिक्त वित्तीय देयता मानी। ओएनजीसी द्वारा प्राप्त यूएसडी 21.54 मिलियन (₹ 91.39 करोड़) की पीबीजी (जुलाई 2008) राशि को भुनाने के लिए लेखांकन, कम्पनी पर निवल अतिरिक्त भार यूएसडी 58.50 मिलियन (₹ 314.74 करोड़) था। अप्रैल 2010 की संशोधित तिथि तक भी समेकित परियोजना की पूर्णता तथा लगभग ₹ 1,500 करोड़ प्रति वर्ष के राजस्व उगाही के ओएनजीसी के अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य केवल कागजो पर ही रहे (जनवरी 2015)।

3.6.3 ओएनजीसी का उत्तर

3.6.3.1 ओएनजीसी ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2015) कि:

- (i) इसने बातचीज के ब्यौरे के रूप में अपने बोर्ड की पृथक स्वीकृति या सुधार की मांग की आवश्यकता महसूस नहीं की तथा दिसम्बर 2009 के निपटान करार को जून 2010 की अपनी बैठक में बोर्ड को प्रतिपादित किया। यह भी बताया गया कि यदि आपसी सहमतियोग्य करार के माध्यम से विवाद नहीं निपटाया गया होता तो पूरे परियोजना कार्यों का फिर से निविदा किया जाता और ₹ 1,000 करोड़ तक का व्यय बेकार पड़ा रहता;
- (ii) इसने सीईएल के प्रस्ताव पर सहमति दी क्योंकि यह एक ‘निष्पन्न कार्य’ की स्थिति थी चूँकि सीईएल के साथ समझौता करार पर हस्ताक्षर करके परियोजना को पुनः शुरू करना बहुत मुश्किल था;
- (iii) सीईएल, परियोजना का सामान केवल ‘जैसा है जहाँ है’ के आधार पर देने को तैयार था और परियोजना के विलम्बित पुनर्अरम्भ को स्वीकार नहीं करता। उपकरण की उपयोगिता अथवा ‘उपयोगयोग्य’ स्थिति की संबंधित ओईएमज़ द्वारा जांच की जा सकती थी और ओईएम की सिफारिश के आधार पर उसका नवीनीकरण किया जा सकता था। भारत से बाहर पड़े सभी परियोजना उपकरण/सामानों के लिए माँगसूची की संयुक्त जाँच की गई थी और कुछ

उपकरणों की विफलता का अनुमान नहीं लगाया गया था और जो जोखिम का भाग था, जिसे सीईएल के साथ आपसी सहमति समझौता करार करते समय देखना चाहिए था। इसे कैमरॉन की शर्तों को मानना पड़ा जिसे बाद में लागत वसूली, परिवहन और एसएसई की स्थापना में वहन करना पड़ता जैसा कि बाद का ओईएम था। ओएनजीसी के लिए समझौता करार पर हस्ताक्षर से पूर्व उपकरण/सामानों की गुणवत्ता की जांच करना व्यवहारिक नहीं था क्योंकि अधिकांश सामान/उपकरण ओईएम के पास पड़े थे; और

- (iv) सीईएल परियोजना उपकरण/सामानों की संयुक्त जांच/सत्यापन पर सहमत नहीं था। उसने जोर दिया कि ओएनजीसी को ‘जैसा है जहां है’ के आधार पर उपकरण/सामान लेना चाहिए। सामानों की जांच से परियोजना में देरी भी हो सकती थी। जहां तक संयंत्र जैसे- टीआरटी और आईडब्ल्यूओसीएस के किराए का संबंध था, ओएनजीसी ने बताया कि चूँकि संयंत्र सीईएल के साथ समाप्त करार में प्रदान की गई 221 दिनों की इसकी अभिरक्षा की समाप्ति के अलावा थे, इसे 10.4 मिलियन यूएस डॉलर का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त इसने सीईएल को बातचीत से हल के भाग के रूप में 33 मिलियन यूएस डॉलर का भुगतान किया जिसकी किराए में परिकल्पना नहीं की गई थी।

3.6.4 ओएनजीसी के उत्तर पर टिप्पणियां

- (i) दिसम्बर 2009 के निपटान की शर्तों में अक्टूबर 2008 में बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तों की तुलना में ओएनजीसी पर बड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारियां और देयताएं थी। जून 2010 की बोर्ड की बैठक के एजेंडा पेपर में बोर्ड से दिसम्बर 2009 के निपटान की शर्तों में कोई सुधार या अनुमोदन माँगना या इंगित नहीं किया गया था। तथ्य यह रह जाता है कि दिसम्बर 2009 में सीएमडी के अनुमोदन के साथ किए गए निपटान की शर्तों के कार्यान्वयन और विवरण से बोर्ड को अवगत नहीं कराया गया था। यह तर्क कि परियोजना में निवेश निपटान करार की आवश्यकता में बेकार पड़ी रही, इसको इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि परियोजना अभी भी (जनवरी 2015) पूरी नहीं हुई थी। ओएनजीसी द्वारा सीईएल के साथ किया गया करार गलत था क्योंकि इस पर बोर्ड का अनुमोदन नहीं था।
- (ii) जहाँ तक दिसम्बर 2009 के निपटान की शर्तों के प्रतिकूल वित्तीय प्रभावों पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तर का संबंध है, तथ्य यह रह जाता है कि ओएनजीसी बिना प्रारम्भिक सावधानी बरते इस पर सहमति दे दी जबकि यह केवल पैकेटों और बाक्सों (केवल विनिर्दिष्ट उपकरण/सामान लिए) को उसमें रखे

उपकरण/सामानों की जाँच किए बिना संयुक्त सत्यापन करने तक सीमित था। इस प्रकार ओएनजीसी ने यथोचित परिश्रम के बिना उपकरण/सामानों की गुणवत्ता या उपयोगिता के प्रति अतिरिक्त देयता का जोखिम उठाया था और अक्टूबर 2008 के निपटान की अनुमोदित शर्तों का उल्लंघन किया था।

- (iii) अतिरिक्त देयता जिसे ओएनजीसी ने ‘जैसा है, जहाँ है’ के आधार पर उपकरण/सामान स्वीकार करते हुए बिना उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता देखे अपने ऊपर लिया था, ओएनजीसी के पास अक्टूबर 2008 से दिसम्बर 2009 तक का समय था जिसके दौरान जटिल उपकरण/सामानों की स्थिति का सत्यापन किया जा सकता था। टीआरटी और आईडब्ल्यूओसीएस जैसे संयंत्रों के लिए अतिरिक्त 221 दिनों के किराए (10.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के भुगतान के संबंध में तथ्य यह है कि ओएनजीसी द्वारा बार-बार कहने के बावजूद भी सीईएल ने जून 2006 के बाद काम फिर से शुरू नहीं किया था। इसके अलावा संयंत्र भी खराब हो गए थे क्योंकि सीईएल के कार्मिक इन संयंत्रों का संचालन करने हेतु उपलब्ध न होने और जटिल समुद्री परिवेश के कारण ‘राइजर के अलग होने पर’* (अगस्त 2006) ये क्षतिग्रस्त हो गए और गुम हो गए थे। इसके अलावा, टीआरटी और आईडब्ल्यू ओसीएस के लिए किराया ओएनजीसी द्वारा देय नहीं था क्योंकि ठेके की समाप्ति तक सीईएल द्वारा किए गए कार्य हेतु भुगतान के भाग के रूप में सीईएल को पहले ही इसका भुगतान कर दिया गया था। सीईएल को 3.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त राशि का लाभ हुआ था जिसे ओएनजीसी ने मान लिया था, वह किराए के लिए नहीं था।

निष्कर्ष

सीईएल के साथ समझौता करार करते समय बिना यथोचित परिश्रम और अपने बोर्ड द्वारा इसके नियम व शर्तों पर अनुमोदित लिए बिना ओएनजीसी ने केवल 0.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की छूट ली जबकि यह भुगतान करने पर समाप्त हो गया (i) ऐसे निपटान हेतु अक्टूबर 2008 में बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तों से विचलन में 66.34 मिलियन अमेरिकी डॉलर ($\text{₹ } 342.34$ करोड़) का अतिरिक्त व्यय करने के बावजूद सीईएल के साथ विवाद के ‘कोर्ट से बाहर’ निपटान हेतु सीईएल को 32 मिलियन अमेरिकी डालर ($\text{₹ } 149.37$ करोड़) की समझौता राशि/अतिरिक्त वित्तीय देयता ($\text{₹ } 342.34$ करोड़) की धारणा गलत थी क्योंकि इस पर बोर्ड का अनुमोदन नहीं था और यह ओएनजीसी के वित्तीय हित में भी नहीं था।

* राइजर: यह एक पाइपलाइन है जो एक सब-सी-वेल से सतह ड्रिलिंग सुविधा का अस्थायी विस्तार देती है।

इसके अतिरिक्त, ओएनजीसी ने संयंत्रों के किराए के भुगतान पर 13.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 63.79 करोड़) का परिहार्य व्यय किया जिसका समाप्त ठेके के अंतर्गत पहले ही सीईएल को भुगतान कर दिया गया था। तेल और गैस क्षेत्रों के विकास हेतु परियोजना अप्रैल 2010 की संशोधित लक्ष्य तिथि के प्रति अभी भी अपूर्ण थी (जनवरी 2015) जबकि ₹ 1500 करोड़ प्रतिवर्ष का अनुमानित राजस्व अभी भी वसूला जाना था।

मामला मंत्रालय को बताया गया था (मार्च 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (18 मार्च 2015)।

3.7 आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड में सामान प्रबंधन माइयूल के कार्यान्वयन की अनुवर्ती आईटी लेखापरीक्षा

3.7.1 प्रस्तावना

अक्टूबर 2003 में, आयल एण्ड नेचुरल गैस लिमिटेड (कंपनी) ने माई एसएपी एण्ड गैस अपस्ट्रीम समाधान के साथ-साथ सभी दस मॉड्यूलों¹ को शामिल करते हुए दक्षता हेतु सूचना संग्रहण (आईसीई) परियोजना के तहत इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) पैकेज, द एसएपी माई एसएपी-फाइनेंसिएल एण्ड लॉजिस्टिक्स का कार्यान्वयन किया गया। आईसीई अक्टूबर 2003 और जनवरी 2005² के बीच संगठनों के बीच पहुँचा।

लेखापरीक्षा द्वारा 2005-06 के दौरान कंपनी के ईआरपी प्रणाली में सामान प्रबंधन (एमएम) माइयूल के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई थी और सीएजी की 2007 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 10 के अध्याय IV में लेखापरीक्षा निष्कर्ष दिए गए थे। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर सिफारिशों का एक सेट बनाया था और कंपनी ने इनमें सुधार करने का आश्वासन दिया था।

कंपनी में ईआरपी पैकेज के एमएम माइयूल के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई थी ताकि सीएजी की 2007 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 10 के अध्याय IV में की गई लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कंपनी के प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई

¹ वित्तीय (एफआई), नियंत्रण (सीओ), सामान प्रबंधन (एमएम), संयंत्र प्रबंधन (पीएम), परियोजना प्रणाली (पीएस), निवेश प्रबंधन (आईएम), संपत्ति प्रबंधन (एएम), कोष (एफएम), बिन्दी एवं वितरण (एसडी), बिजनेस इंफार्मेशन वेयर हाऊस (बीडब्ल्यू)।

² शुरू में एसएपी वर्जन 4.6सी को एसएपी में डाटा जुटाने हेतु आरेकल डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के साथ एचपी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एण्ड प्लेटफार्म्स पर लगाया गया था जिसे बाद में अपग्रेड करके डाटाबेस के अनुसार ऑरेकल 10जी के साथ 2009 में ईआरपी 6.0 कर दिया गया।

की समीक्षा की जा सके। अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि हेतु एमएम माड्यूल के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई थी।

3.7.2 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली एवं सीमायें

लेखापरीक्षा के दौरान अपनायी गई लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली निम्नलिखित है:

- कंपनी के साथ विचार-विमर्श, प्रबंधन को जारी प्रश्नावली एवं पत्राचार तथा इनका फ़िडबैक।
- मानक और इन-हाउस रिपोर्टों का प्रयोग करके डाटा लेना और एमएस एक्सेल/एमएस एक्सेस का उपयोग करते हुए उनका विश्लेषण।

लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई सीमायें थीं:

- लेखापरीक्षा सूचना प्रणाली (एआईएस), एसएपी के साथ युक्तियुक्त और कारोबार तथा सिस्टम लेखापरीक्षाओं की सुविधा हेतु बनाए गए एक लेखापरीक्षण यंत्र का कार्यान्वयन नहीं किया गया था।
- एसएपी क्वेरी और एसएपी डाटा ब्राउज़र तक पहुँच उपलब्ध नहीं थी।

3.7.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अनुवर्ती लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है:

3.7.3.1 सिफारिश 1 – समय पर और सटीक डाटा संग्रहण सुनिश्चित करने हेतु इनपुट नियंत्रण, वैधीकरण नियंत्रण और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को मजबूत करना

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान विश्लेषण से पता चला कि पिछली लेखापरीक्षा में देखी गई इनपुट नियंत्रण, वैधीकरण नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की अपर्याप्तता के कारण डाटा में असंगतता लगातार जारी रही जैसा कि नीचे बताया गया है:

(क) गलत निर्धारण के साथ खरीद आदेश

स्पिलिट वैल्यूएशन प्रोसीज़र (एसवीपी) को स्टोर एवं कलपुर्जी हेतु ईआरपी प्रणाली में शामिल किया गया था जहाँ प्रणाली में शामिल ‘वैल्यूएशन टाइप’ बताने के आधार पर प्रत्येक ‘मैटेरिएल टाइप’ के लिए अक्षग भारित औसत लागत अनुरक्षित किया गया था। भारत के सीएजी की 2007 की रिपोर्ट सं. 10 के अध्याय VI के पैरा 6.7.1.1 में टिप्पणी की गई थी कि इनपुट नियंत्रणों की अपर्याप्तता से क्रय आदेश (पीओज) में वस्तुओं के

‘वैल्यूएशन टाइप’ की गलत प्रविष्टियां होती हैं जिससे डाटा संग्रहण की कमी और गलत एमआईएस, गलत सामान गणना हुई।

कंपनी ने बताया (नवम्बर 2007) कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में एक वैधीकरण होना चाहिए ताकि स्वदेशी वैंडर आयातित मालों और इसके विपरीत क्रम के लिए निर्धारण प्रकार स्वीकार न करें।

हालांकि अनुवर्ती लेखापरीक्षा में विश्लेषण से पता चला कि 2011-14 के दौरान ₹ 7.45 करोड़ मूल्य के 371 मर्दों हेतु 47 पीओज़ को पोस्ट किया गया था, जिसमें निर्धारण प्रकार के सामान पीओज़ प्रकार के साथ भिन्न थे अर्थात् आयातित पीओ के लिए प्रासंगिक निर्धारण प्रकार, स्वदेशी पीओ और इसके विपरीत प्रविष्ट किए गए थे (अनुबंध-III)।

कंपनी ने उत्तर दिया (मार्च 2015) कि केवल एक पीओ के मामले को छोड़कर सभी 47 पीओज़ में प्रविष्ट निर्धारण प्रकार सही था; हालांकि ये पीओज़ बनाते समय ‘दस्तावेज प्रकार’ प्रविष्ट करते समय त्रुटि के कारण आयातित पीओ और इसके विपरीत की बजाए एक स्वदेशी पीओ बन गया।

इससे पता चलता है कि यह सुनिश्चित करने हेतु वैधीकरण कि स्वदेशी वैंडरों पर पीओज़ आयातित वस्तुओं और निर्यातित वस्तुओं के लिए निर्धारण प्रकार स्वीकार न करने की व्यवस्था नहीं थी ताकि ऐसी गलतियों को रोका जा सकता, जबकि नवम्बर 2007 में कंपनी द्वारा इसका आश्वासन दिया गया था।

(ख) क्रय आदेश में सुपुर्दगी तिथि

संबंधित पीओ के नियमों व शर्तों के अनुसार ईआरपी प्रणाली में सामानों की सही निर्धारित सुपुर्दगी तिथि को आवश्यकता, वैंडरों के निष्पादन और पीओज़ के समापन के प्रति व्यापक रूप से मॉनीटर किया जाना था।

सीएजी की 2007 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 10 के अध्याय VI के पैरा 6.7.1.3 में यह टिप्पणी की गई थी कि पीओज़ में सामानों की निर्धारित सुपुर्दगी तिथि प्रविष्ट करने हेतु कोई इनपुट नियंत्रण नहीं था जो निर्धारित सुपुर्दगी तिथियाँ कुछ मामलों में पीओ की तिथि से पहले थीं। आगे यह भी देखा गया कि आपूर्तियों की वास्तविक सुपुर्दगी तिथि को प्रणाली में नहीं दर्ज किया जा रहा था।

कंपनी ने बताया था (नवम्बर 2007) कि सुपुर्दगी की निर्धारित तिथि वैंडरों द्वारा उद्दृत सुपुर्दगी अवधि पर निर्भर थी और इसके लिए प्रणाली में किसी वैधीकरण की व्यवस्था

करना संभव नहीं था। सुपुर्दगी की वास्तविक तिथि इसके लिए बनाई गई रिपोर्ट में क्रय अधिकारियों द्वारा हस्तगत प्रविष्टि के माध्यम से दर्ज की जानी थी।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि आपूर्तियों की वास्तविक सुपुर्दगी तिथि इन-हाऊस विकसित कार्यक्रम के माध्यम से प्रणाली में दर्ज की जा रही थी। हालांकि नमूना जाँच^{*} से पता चला कि 159 वस्तुओं हेतु 48 पीओज़ को 2 से 614 दिनों की अवधि तक पीओ तिथियों से पूर्व की निर्धारित सुपुर्दगी तिथियाँ निश्चित की गई थी। इस प्रकार, पीओज़ में लगातार गलत निर्धारित तिथियाँ दर्ज होती रही। आगे यह भी देखा गया कि आगामी ‘दस्तावेज तिथियों’^{*} वाले पीओज़ भी प्रणाली में मौजूद थे जो कमजोर इनपुट नियंत्रण/वैधीकरण जाँच दर्शाते हैं (अनुबंध-IV)।

गलत निर्धारित सुपुर्दगी तिथि दर्ज करने के कारण क्रय और पीओ निष्पादन पर सटीक एमआईएस डाटा नहीं बनाया जा सका, परिनिर्धारित हानि लगातार मैनुअली निकाली गई और सुपुर्दगी में देरी के मामले में स्वचालित अनुस्मारक जारी करने हेतु एसएपी में दिए गए अनुस्मारक विशेषता का उपयोग नहीं किया जा सका।

कंपनी ने उत्तर दिया (मार्च 2015) कि सुपुर्दगी तिथियों का वैधीकरण नहीं किया जा सका क्योंकि बोर्ड क्रय एवं तत्काल क्रय जैसी कुछ स्थितियों में वस्तुओं की सुपुर्दगी के बाद नियमन हेतु पीओ रखा जाना था। कंपनी ने यह भी बताया कि परिनिर्धारित हानियाँ आंशिक रूप से व्यक्तिपरक हैं और इसे पीओ और ठेका शर्तों के आधार पर मैनुअली निकाले जाने की आवश्यकता है। ‘दस्तावेज तिथियों’ के संबंध में यह बताया गया कि दस्तावेज तिथि के रूप में पीओ के सृजन की तिथि के दोष हेतु प्रणाली आशोधन की ऐसी त्रुटियों से बचने की लिए जांच की जाएगी।

कंपनी का तर्क कि तत्काल क्रय को विनियमित करने हेतु पीओ तिथियों में असंगतता स्वीकार्य नहीं था। लेखापरीक्षा का विश्लेषण सितम्बर 2014/फरवरी 2015 तक अपूर्ण सुपुर्दगी के साथ 2011-14 में पीओज़ पर आधारित था, इसलिए ये पहले ही प्राप्त वस्तुओं के विनियमन के मामले नहीं हो सकते थे। इसके अतिरिक्त, तत्काल/विनियमन मामलों के मामले में आवश्यकता को पीओज़ में सुपुर्दगी तिथियों की वैधीकरण करते समय अपवादस्वरूप देखा जाए।

^{*} वस्तुओं की वास्तविक सुपुर्दगी के साथ 2011-14 के दौरान अवमुक पीओज़ सितम्बर 2014 और फरवरी 2015 को अपूर्ण थी।

* दस्तावेज तिथि पीओ बनाने की तिथि दर्शाती है।

(ग) स्थानान्तरण में स्टॉक की गैर निकासी

स्टॉक परिवहन आदेश (एसटीओज), वस्तुओं के आंतरिक स्थानान्तरण हेतु बनाए जाते हैं। जारीकर्ता स्टोर द्वारा दर्ज एक वस्तु निर्गम दस्तावेज लंबित दस्तावेजों को पूरा करने हेतु स्टोर द्वारा एक वस्तु प्राप्ति रसीद प्राप्त करते हुए पूरित होना था जो वस्तु स्थानान्तरण मदसूचियों के अंतर्गत ‘स्थानान्तरण में स्टॉक’ के रूप में बचे हैं।

सीएजी की 2007 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 10 के अध्याय VI के पैरा 6.7.1.5 में यह टिप्पणी की गई थी कि वस्तुओं के आंतरिक स्थानान्तरण के संबंध में माल प्राप्ति दस्तावेजों की विलम्बित प्रविष्टि और गैर-प्रविष्टि की घटनायें हुईं जिसके कारण प्रणाली में प्राप्त सभी स्टॉक की समय पर प्रविष्टि सुनिश्चित करने में आंतरिक नियंत्रण का अभाव दर्शाते हुए ‘स्थानान्तरण में स्टॉक’ में बड़े अधिशेषों की संगणना हुई। यह भी देखा गया था कि स्टॉक स्थानान्तरण के ऐसे मामले थे जहाँ ‘स्थानान्तरण में स्टॉक’ के अनुसार मर्दों को शामिल किया गया था जबकि स्थानान्तरित वस्तुओं को वित्तीय अभिलेखों में खपत के रूप में दर्ज किया गया था।

कंपनी ने बताया था (नवम्बर 2007) कि आगे एसटीओ की अनुमति न देने के लिए प्रणाली में वैधीकरण होना चाहिए जहाँ दो महीने से अधिक पारगमन में सामान बाकी हों और जहाँ साइट पर उपलब्ध स्टॉक औसत दो महीनों से अधिक खपत हो।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा से पता चला कि ₹ 75.77 करोड़ वाले 68,904 मर्दों के लिए स्टॉक स्थानान्तरण छ: महीने से दस वर्षों से अधिक तक के स्टॉक स्थानान्तरण की गैर-निकासी अवधि से गैर-निकासी के कारण पड़े थे (अगस्त 2008) (अनुबंध-V)। आगे अगस्त 2014 तक पारगमन में बचे माल निर्गम दस्तावेजों के विश्लेषण से पता चला कि 89 मामले जिनका मूल्य 0.82 करोड़ रुपय था और स्टॉक स्थानान्तरण में शामिल थे, को पहले ही वित्तीय अभिलेखों में खपत के रूप में दर्ज कर दिया गया था।

कंपनी ने उत्तर दिया (मार्च 2015) कि पिछले चार वर्षों के दौरान यदि बाकी स्टॉक अधिकतम खपत से दोगुने से अधिक हो तो आगे खरीद को रोकने हेतु प्रणाली में वैधीकरण पहले से ही मौजूद था। अधिशेष स्टॉक का आँकड़ा मांगकर्ताओं के पास पड़े गैर-मंजूर स्टॉक स्थानान्तरण दस्तावेजों को शामिल करने के बाद निकाला गया था जिससे स्टॉक स्थानान्तरण की मंजूरी हेतु मांगकर्ताओं पर लगातार दबाव बनाया गया। जहाँ तक लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए 89 मामलों का प्रश्न है, यह बताया गया कि इनमें से 87 मामलों का निपटान कर दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तथाकथित वैधीकरण, स्टॉक स्थानांतरण की समय पर निकासी सुनिश्चित करने में प्रभावी नहीं था। इसके अतिरिक्त ‘स्थानान्तरण में स्टॉक’ के रूप में बचे सामानों की स्थिति की जांच करने हेतु कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी जबकि खपत दर्ज कर दिया गया था।

(घ) भौतिक सत्यापन प्रक्रिया

निश्चित परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन ‘ए’ एवं ‘बी’ श्रेणी परिसंपत्तियों के लिए स्टॉक सत्यापन टीम द्वारा वार्षिक रूप से तथा ‘सी’ श्रेणी परिसंपत्तियों के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष नियमित रूप से किया जाता था। प्रत्येक परिसंपत्ति के सत्यापन पर उपलब्धता की स्थिति को प्रणाली में अद्यतित किया जाता था और प्रणाली में अद्यतन हेतु भिन्न परिसंपत्तियों की पुष्टि/मिलान/पता लगाने के लिए माँगकर्ताओं को भिन्नता रिपोर्ट भेजी जाती थी। भौतिक सत्यापन नीति में यह भी प्रावधान है कि सामानों की श्रेणी के आधार पर स्टॉक में स्टोर, स्पेयर्स और पूँजीगत वस्तुओं (सीआईओएस) का लगातार सत्यापन किया जाए जिससे कि ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ श्रेणी के स्टोर्स और स्पेयर्स का क्रमशः वार्षिक, द्विवार्षिक और त्रिवार्षिक सत्यापन किया जा सके।

सीएजी की 2007 की रिपोर्ट सं. 10 के अध्याय-VI पैरा 6.7.5 में यह टिप्पणी की गई थी कि परिसंपत्तियों, सीआईओएस और स्टोर्स तथा स्पेयर्स का नियमित और पूर्णतः सत्यापन नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, परिसंपत्तियों के स्टॉक सत्यापन में बहुत सी कमियां बिना समय विश्लेषण के अंतिम समाधान हेतु पड़ी थीं।

कंपनी ने बताया था (जनवरी 2009/जून 2010) कि माँगसूची के नियमित सत्यापन का प्रयास किया जाएगा तथा स्टॉक सत्यापन में कमियों के समय विश्लेषण को भी प्रणाली में शामिल किया जाएगा।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

(i) परिसंपत्तियों एवं स्टोर्स तथा स्पेयर्स का भौतिक सत्यापन

परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन निर्धारित समयांतराल पर नहीं किया जा रहा था। फरवरी 2015 में ₹ एक लाख प्रति कुल बुक मूल्य से अधिक वाली परिसंपत्तियों के विश्लेषण से पता चला कि 81564 परिसंपत्तियों (₹ 99,238.49 करोड़) में से 4,052 परिसंपत्तियों (₹ 391.62 करोड़) का पिछला सत्यापन 1992-2013 के दौरान किया गया था (अनुबंध VI, VII और VIII)। आगे यह भी देखा गया कि 4918 मर्दों (₹ 2864.14

करोड़) के संबंध में पिछली माँगसूची तिथि प्रणाली में नहीं उपलब्ध थी और ₹ एक लाख से अधिक बुक मूल्य वाली 3055 परिसंपत्तियाँ (₹ 164.08 करोड़) घाटे में थी। इसके अतिरिक्त, 417 अचल परिसंपत्तियाँ जैसे- जमीन, भवनों, गोदामों, वेयरहाउसों, कार्यशालाओं, हेलीपैडों, बंक भवनों, सड़कों, दीवारों, कैटीनों, बंगलों, ड्रिल साइटों, शेडों, गैरेजों आदि को प्रणाली में घाटे में दर्शाया जा रहा था। स्टॉक में स्टोर्स, स्पेयर्स और पूँजीगत वस्तुओं (सीआईओएस) के संबंध में 2011-14 के दौरान विभिन्न स्थानों पर सत्यापन में 43 से 86 प्रतिशत तक की गिरावट थी (अनुबंध-IX)।

कंपनी ने बताया (मार्च 2015) कि इनमें से कई परिसंपत्तियों को सत्यापन के बिना तत्कालीन उपलब्ध डेटा से आईसीई प्रणाली में अपलोड किया गया था, इन्हें ‘घाटे’ के रूप में दर्शाया जा रहा है और सभी इकाईयों को ऐसी वस्तुओं की पहचान करके इनका मिलान करने का सुझाव दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एसेट मास्टर के साथ पूर्णतः मिलान किए गए समर्थित दस्तावेजों के साथ कंपनी की रिएल इस्टेट परिसंपत्तियों को अपलोड करने हेतु आईसीई में एक रिएल इस्टेट माइयूल बनाया गया था; एक बार मैपिंग और अपलोडिंग पूर्ण हो जाने के पश्चात् यह उम्मीद थी कि लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई कमियों को कम किया जा सकता था।

उत्तर में यह नहीं बताया गया कि 2003 में अपलोड मौजूदा डेटा का दस वर्ष बीत जाने के बाद भी मिलान क्यों नहीं किया जा सका।

(ii) विसंगतिपूर्ण परिसंपत्तियों का समय विश्लेषण

सभी विलुप्त परिसंपत्तियों (26 सितम्बर 2014 तक) के समय विश्लेषण से पता चला कि 15,525 मर्दे (₹ 221.69 करोड़) बीस वर्ष से अधिक समय से घाटे में थी (अनुबंध-X)। आगे यह भी देखा गया कि ‘जबकि वह तिथि जबसे परिसंपत्ति घाटे में थी’, इसके पिछले सत्यापन तिथि के बाद नहीं हो सकती थी, 919 परिसंपत्तियों (₹ 15.24 करोड़) के मामले में घाटे की तिथि एसेट मास्टर में पिछली माँगसूची तिथियाँ पाँच वर्षों से अधिक के बाद की थी (अनुबंध-XI)। इसके अतिरिक्त, 1355 मर्दों (₹ 14.61 करोड़) को उनके पूँजीकरण तिथि से घाटे में बताई गई थी।

इस प्रकार, प्रणाली में आवश्यक डाटा इनपुट नियंत्रण नहीं था जिसके कारण गलत एमआईएस और भौतिक सत्यापन प्रक्रिया से जुड़े संगठनात्मक उद्देश्य नहीं पूरे हुए।

कंपनी ने बताया (मार्च 2015) अधिकांश परिसंपत्तियों को जो लंबे समय से घाटे में थी उनको पूर्ण सत्यापन के बिना मौजूदा उपलब्ध डेटा से एसएपी प्रणाली में स्थानांतरित

कर दिया गया। आगे यह भी बताया गया कि परिसम्पत्ति सत्यापन के आधार पर परिसंपत्ति की स्थिति को अद्यतित करने का कार्यक्रम अधिकांशतः सत्यापन तिथि अथवा उसके बाद होता था; इसे रिपोर्टिंग तिथि के रूप में रखा जाता था और वहाँ हमेशा संभावना थी कि घाटा बताए जाने की तिथि माँगसूची तिथि के बाद थी।

उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाए कि उपलब्ध डाटा को 2003 में प्रणाली में अपलोड किया गया था और अब तक इसका मिलान किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, यद्यपि सत्यापन स्थिति का अद्यतन कार्यक्रम सत्यापन तिथि के पश्चात् भी चल सकता था लेकिन सत्यापन तिथि के पाँच वर्ष बाद भी ऐसा नहीं किया जा सका।

(iii) विसंगतिपूर्ण परिसंपत्तियों का मिलान

एक पूँजीगत माँगकर्ता निर्धारित परिसंपत्तियों की अभिरक्षा और अनुरक्षण हेतु परिसंपत्तियों का अभिरक्षक कहलाने वाले अंतरिम प्रयोगकर्ताओं को जारी परिसंपत्तियों को प्राप्त करने हेतु सभी खण्डों में प्राधिकृत था। अलगाव/सेवानिवृत्ति/स्थानान्तरण के मामले में एक माँगकर्ता को प्रभार त्यागने से पूर्व अपने स्थान पर प्रभार लेने वाले कर्मचारी के नाम में परिसंपत्तियों का स्थानान्तरण करना चाहिए।

घाटे की 14,502 परिसंपत्तियों (02 सितम्बर 2014 तक) के माँगकर्ता विवरण के विश्लेषण से पता चला कि 954 घाटे वाली परिसंपत्तियाँ (₹ 11.79 करोड़) 51 माँगकर्ताओं के नाम थीं जो कंपनी में लम्बी अवधि से सेवारत नहीं थे, 1,669 घाटे वाली परिसंपत्तियाँ (₹ 30.21 करोड़) 118 माँगकर्ताओं के पास थीं जो परिसंपत्तियों के स्थान पर लम्बे समय से कार्यरत नहीं थे, को अक्टूबर 2001 से पीछे की अवधि तक काफी पुराना स्थानान्तरण किया गया, 7,200 घाटे वाली परिसंपत्तिया (₹ 75.34 करोड़) नकली माँगकर्ताओं के पास थीं और 2,165 घाटे वाली परिसंपत्तियाँ (₹ 40.31 करोड़) 126 माँगकर्ताओं के पास थीं जिनके संबंध में मानव संसाधन (एचआर) मास्टर डेटा¹ से बनाई गई रिपोर्ट में उनकी सेवा/तैनाती की वर्तमान स्थिति का विवरण उपलब्ध नहीं था।

कंपनी ने बताया (मार्च 2015) कि कर्मचारी की अभिरक्षा में रखी गई परिसंपत्तियों को देखने के लिए डब्ल्यूईबीआईसीई (कर्मचारियों के घरेलू पोर्टल) में परिसंपत्ति अभिरक्षक रिपोर्ट और एसएपी में अन्य रिपोर्ट (जेडएचआरसीएपीआरईपीओ) पहले ही उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त प्रणाली में नई कार्यप्रणाली स्थानान्तरण या मौजूदा माँगकर्ता के अलगाव

¹ एसएपी टी-कोडस - जेडएचआर_ईएमपीएचआईएसटी और जेडएचआरईएमपी_विवरण

के समय नए माँगकर्ता को परिसंपत्ति सौंपने/स्थानांरित करने हेतु विकसित की जा रही थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी जिसका पहले से उपलब्ध रिपोर्ट का प्रयोग करके परिसंपत्तियों को सौंपने हेतु कारोबारी प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता।

(iv) घरेलू विकसित रिपोर्ट में विसंगतियाँ

श्रेणी और माँगकर्तावार परिसंपत्ति¹ सत्यापन स्थिति सार² के साथ-साथ भिन्न परिसंपत्तियों के समय विश्लेषण पर एमआईएस डाटा जुटाने हेतु आईसीई टीम द्वारा घरेलू रिपोर्ट बनाई गई थी। दो रिपोर्ट के तुलनात्मक विश्लेषण (26 सितम्बर 2014 तक) से पता चला कि दो रिपोर्ट में घाटे में ‘ए’, ‘बी’ एवं ‘सी’ श्रेणी की परिसंपत्तियों की संख्या और कुल बुक मूल्य में समानता नहीं पाई गई (अनुबंध-XII) जिसके कारण अपूर्ण एमआईएस और त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग हुई।

3.7.3.2 सिफारिश 2 – प्रणाली के माध्यम से एमआरपी नियंत्रक की भूमिका को सुदृढ़ करना तथा अधिकतम, न्यूनतम और पुनः मांग स्तरों का निर्धारण करके प्रणाली का अधिकतम उपयोग करना

एसएपी में सामान आवश्यकता योजना (एमआरपी) विशेषता थी जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए न्यूनतम, अधिकतम, सुरक्षा और पुनःमांग स्टॉक स्तर निर्धारित किया जा सके ताकि आवश्यकतानुसार उनकी उपलब्धता के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि अतिरिक्त मांगपत्र रखने में अनावश्यक रूप से निधियों का अवरोधन न हो। जब भी वस्तुओं का स्टॉक स्तर इसके पुर्णमांग स्तर तक पहुँचे, खरीद हेतु एक पीआर निकालने के लिए एमआरपी विशेषता का उपयोग किया जा सके।

सीएजी की 2007 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.10 के अध्याय VI के पैरा. 6.7.2.1 में यह टिप्पणी की गई थी कि स्टॉक रखने की वास्तविक आवश्यकता अथवा खपत में कोई तालमेल नहीं था। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले देखे गए जहां पूँजीगत वस्तुएं लम्बी अवधि से स्टोर में अप्रयुक्त पड़े थे जबकि इसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद इसे प्रयोगकर्ताओं को जारी किया जाना था।

¹एसएपी टी-कोडस - जेडरफआईएमडीएफसीटी

²एसएपी टी-कोडस - जेडरफआईवीईआरआईएबीसी

कंपनी ने बताया (जनवरी 2009/जून 2010) कि स्वचालित एमआरपी नियंत्रक उच्च तकनीकी प्रकृति की आवश्यकताओं से अलग होने के कारण कंपनी के काम नहीं आ सका, जो कार्ययोजना पर आधारित था। हालांकि नियमित खपत और सामान्य प्रकृति की मदों हेतु विभिन्न स्तरों को तय करने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही थी।

यह देखा गया कि ईआरपी प्रणाली के कार्यान्वयन के बावजूद अधिकतम, न्यूनतम, सुरक्षा और इंवेंटरी होल्डिंग का रिकार्डर स्तर निर्धारित नहीं किया गया था, सामान आवश्यकता योजना मैनुअली बनाई जा रही थी जो अभी भी व्यक्तिपरक थी।

(क) स्टोर मदें

इंवेंटरी होल्डिंग अर्थात् 2011-14 के दौरान 15 ड्रिलिंग संयंत्रों^{*} में ₹ 732.41 करोड़ के औसत स्टॉक मूल्य वाले 12956 स्टोर मदों की खपत के विश्लेषण से 14 संयंत्रों में फैले 536 स्टोर मदों की खपत 'शून्य' पाई गई जहाँ औसत स्टॉक मूल्य ₹ एक लाख प्रति से अधिक था। 364 में कोई स्टॉक आवाजाही नहीं थी जिसमें से ₹ 42.34 करोड़ का औसत स्टॉक मूल्य था और 14 ड्रिलिंग संयंत्रों में 149 स्टॉक मदें फैली थी जहाँ औसत इंवेंटरी होल्डिंग 'शून्य' खपत के बावजूद नई खरीदी जा रही ₹ 16.24 करोड़ मूल्य की वस्तुएं 2011-14 में दस गुने से अधिक वृद्धि दर्शायी।

कंपनी ने बताया (मार्च 2015) कि तत्संबंधी स्टोर्स/स्पेयर्स मदों के मामले में पिछले चार वर्षों के दौरान अधिकतम खपत की दो गुनी/1.6 गुनी से अधिक स्टॉक होने पर आगे की खरीद रोकने हेतु पहले ही प्रमाणीकरण था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि तथाकथित प्रमाणीकरण सार्वभौम प्रकृति का था मदों को अधिकतम, न्यूनतम और पुनर्मांग स्तर पर निर्धारित करके प्रणाली के ईष्टतम उपयोग के माध्यम से एमआरपी नियंत्रण हेतु विस्थापित नहीं किया जा सकता था, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट था कि 149 स्टोर मदों के मामले में औसत इंवेंटरी होल्डिंग 'शून्य' खपत के बावजूद नई खरीदी जा रही ₹ 16.24 करोड़ मूल्य की वस्तुओं ने 2011-14 में दस गुने से अधिक वृद्धि दर्शायी।

* अगरतला, अहमदाबाद, अंकलेश्वर, बड़ौदा, काम्बे, देहरादून, जोधपुर, जोरहट, कराईकल, कोलकाता, मेहसाणा, मुंबई, नाजीरा, राजमुंद्री, और सिलचर

(ख) पूँजीगत स्टोर्स

चौंकि पूँजीगत वस्तुओं की प्राप्ति के पश्चात् संबंधित माँगकर्ता को तुरंत जारी किया जाना होता है, ₹ 44.28 करोड़ मूल्य की 1132 पूँजीगत वस्तुएं दस वर्षों से अधिक समय जारी करने हेतु स्टोर में पड़ी थी (अनुबंध-XIII)।

कंपनी ने बताया (मार्च 2015) कि पूँजीगत वस्तुओं की प्राप्ति पर जारी करने वाले आवश्यक दिशा-निर्देश अक्टूबर 1996 में ही जारी कर दिए गए थे, इसके बावजूद भी सीआईओएस मर्दों को जल्दी से जल्दी विनियमित/समाप्त करने हेतु दुबारा निर्देश दिए जा रहे हैं।

3.7.3.3 सिफारिश 3 – त्रुटियों में सुधार हेतु विस्थापित मास्टर डाटा शोधन जो ईआरपी प्रणाली में फैला था और मास्टर डाटा की आवधिक समीक्षा हेतु व्यापक प्रक्रियाएं स्थापित करना

2003 में एसएपी ईआरपी प्रणाली लागू करते समय तत्कालीन ‘एकीकृत मैटेरिएल प्रबंधन प्रणाली’ (आईएमएमएल) से मौजूदा डाटा विस्थापित कर दिया गया था जिसमें संगठन द्वारा की गई मैटेरिएल मास्टर डाटा विस्थापन प्रक्रियाओं में अपूर्ण कोडीफिकेशन विवरणों से संबंधित कुछ कमियाँ देखी गई थी और सीएजी की 2007 की रिपोर्ट सं. 10 के अध्याय VI के पैरा 6.7.4 में टिप्पणी की गई थी।

कंपनी ने मैटेरिएल मास्टर डाटा के सफाए के बारे में बताया था (नवम्बर 2007) जिससे आगे की खरीद हेतु विवरण के बिना डुप्लीकेट कोड वाले मैटेरिएल को ब्लॉक कर दिया गया था जिसके कारण मैटेरिएल मास्टर डाटा में सुधार करना पड़ा।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी की 2007 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं.10 के अध्याय VI के पैरा 6.7.4 में लेखापरीक्षा द्वारा विस्थापित मास्टर डाटा में बताई गई त्रुटियों में सुधार पाया गया।

3.7.3.4 सिफारिश 4 – प्रयोक्ता जागरूकता का स्तर बढ़ाने और डाटा इनपुट की त्रुटियों को कम करने तथा अन्तिम प्रयोगकर्ताओं को अद्यतित संचालनात्मक दस्तावेज बनाने हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान डाटा और सूचना के विश्लेषण से पता चला कि प्रयोक्ता जागरूकता अभाव और डाटा इनपुट त्रुटियाँ का कारण डाटा अनियमितता जैसा कि

पिछली लेखापरीक्षा में देखा गया था, लगातार जारी रहा जो प्रयोक्ता जागरूकता स्तर बढ़ाने में कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई की अपर्याप्तता दर्शाता है जो निम्नवत है:

(क) पूर्व के लंबित माँगपत्र के साथ नये क्रय माँगपत्र का सृजन

प्रणाली में क्रय माँगपत्र (पीआर) क्रय गतिविधियों का मूल था और क्रय प्रक्रिया में सृजित मूल दस्तावेज था जो आवश्यकता की यथार्थता दर्शाता है और क्रय हेतु प्रशासनिक अनुमोदन/मंजूरी दर्शाता है।

सीएजी की 2007 की रिपोर्ट सं.10 के अध्याय VI के पैरा 6.7.1.4 में टिप्पणी की गई थी कि एक ओर जहाँ पीआर, किसी खरीद कार्रवाई या समाप्ति के बिना लंबे समय से प्रणाली में लंबित थे, वहीं दूसरी ओर उनमें से कुछ मदों के लिए नए पीआरज भी सृजित किए गए थे और उस पर खरीद कार्रवाई की गई थी।

कंपनी ने असंपादित पीआरज को हटाने हेतु एक अंतरण कोड बनाने यदि उसी सामान हेतु माँगपत्रप्रणाली में पहले से हो तथा नए पीआरज की गैर-वसूली हेतु एमआरपी नियंत्रकों के प्रशिक्षण के बारे में बताया था (नवम्बर 2007)।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में विश्लेषण से पता चला कि 31 मार्च 2011 से पहले की सुपुर्दगी तिथि वाले 34,279 मदों हेतु 12,774 पीआरज बिना किसी खरीद कार्रवाई या समापन के सितम्बर 2014 को प्रणाली में लंबित थे इसके अतिरिक्त चार संयंत्रों* में विश्लेषण से पता चला कि जबकि एक ओर 997 मदों हेतु 2008-11 के 173 ऐसे पीआरज बिना किसी कार्रवाई के पड़े थे, वहीं दूसरी ओर 45 ऐसी मदों हेतु 43 नए पीआरज भी सृजित किए गए और 2011-14 के दौरान प्रसंस्कृत किए गए (अनुबंध-XIV)।

कंपनी ने बताया (मार्च 2015) कि ऐसे पीआरज को हटाने की कार्यप्रणाली पहले से ही उपलब्ध थी और जहाँ खरीद की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे पीआरज को हटाने का सुझाव हेतु एक परिपत्र भी जारी किया गया था।

(ख) सामग्री खपत दर्ज करने में देरी

सामग्री की खपत बुकिंग, सामग्री प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि स्टोर से उपयोगकर्ताओं को जारी सामग्री संचालन में वास्तविक प्रयोग तक माँगसूची का भाग है। वास्तविक खपत पर, प्रणाली में प्रविष्ट करना आवश्यक था ताकि इसे माँगसूची से हटा दिया जाए और इसकी लागत को लेखांकन/वित्तीयसूचना में दर्ज हो सके।

* अंकलेश्वर परिसंपत्ति, अहमदाबाद परिसंपत्ति, निगम सेवायें देहरादून और ड्रिलिंग सेवायें मुंबई

सीएजी की 2007 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं.10 के अध्यायन VI के पैरा 6.7.1.6 में यह टिप्पणी की गई थी कि सामग्री खपत को समय पर प्रणाली में दर्ज नहीं किया जा रहा था जिसके कारण उपलब्ध वास्तविक भौतिक स्टॉक और प्रणाली में विद्यमान माँगसूची आंकड़ों में समानता नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप गलत अवधि में सामग्री खपत की गणना हुई और इस कारण लेखांकन/वित्तीय आंकड़े गड़बड़ हुए।

कंपनी ने बताया था (नवम्बर 2007) कि खपत की समय पर बुकिंग सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली में एक प्रमाणीकरण की व्यवस्था की जाएगी।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में विश्लेषण से पता चला कि 2012-13 के दौरान पूर्ण हुए 102 अंवेषित कुओं में ₹ 143.39 करोड़ की सामग्री कुओं समापन तिथियों के बाद 690 दिनों तक की देरी से खपत के रूप में दर्ज की गई थी (अनुबंध-XV) जिसमें से ₹ 133.98 करोड़ खुदाई प्रक्रियाओं के दौरान खपत की प्रकृति थे (अनुबंध-XVI)। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2013 से पूर्व खपत हुई ₹ 18.26 करोड़ की सामग्री को 2013-14 के दौरान खपत में बुक कर दिया गया था।

कंपनी ने बताया (मार्च 2015) कि समय से खपत की बुकिंग और लंबित एसटीओज़ को समाप्त करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सभी निर्माण केंद्रों को साइट पर उनकी सामग्रियों और खपत की बुकिंग के माध्यम से इसके परिसमापन हेतु नियमित आधार पर पारगमन सामग्रियों के बारे में बता दिया गया है।

(ग) शेष मात्रा वाले खुले क्रय आदेश

जब सुपुर्द की गई सामग्री की मात्रा, आदेशित मात्रा से थोड़ी कम हो और शेष मात्रा की उम्मीद न हो तो पीओ को अन्यत्र उपयोग हेतु शेष मात्रा से जुड़ी निधि को मुक्त करने के लिए प्रणाली में पूर्णता के रूप में समाप्त किया जाना चाहिए।

सीएजी की 2007 की लेखापरीक्षा रिपार्ट सं.10 के अध्याय VI के पैरा 6.7.2.3 में टिप्पणी की गई थी कि प्रणाली में ऐसे पीओज की क्लोजिंग का कारण अथवा क्लोज करने हेतु प्रणाली में कोई व्यवस्था नहीं थी।

कंपनी ने बताया (नवम्बर 2007) कि ऐसे पीओज की नियमित समीक्षा हेतु क्रय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे।

हालांकि, 31 मार्च 2014 से पूर्व की सुपुर्दगी तिथि वाले खुले पीओज और अगस्त 2014 में आदेशित मात्रा की 10 प्रतिशत से कम बची मात्रा के विश्लेषण से पता चला कि बची

हुई मात्रा से जुड़ी ₹ 12.87 करोड़ की निधियों वाले इस प्रकृति के 557 पीओज़ को अभी भी समाप्त नहीं किया था। (अनुबंध-XVII)।

कंपनी ने बताया (मार्च 2015) कि यद्यपि प्रणाली में ऐसे पीओज़ को स्वतः ही समाप्त करने की व्यवस्था थी लेकिन छूट सीमा शैल्य प्रतिशत निर्धारित किया गया था क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि ऐसी पीओज़ की समाप्ति पर विचार किया जाता है न कि स्वचालित रूप से समाप्त किया जाता है।

कंपनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ऐसे पीओज़ की समय पर मैनुअली क्लोजिंग सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त प्रक्रियायें होनी चाहिए थी क्योंकि ऐसे खुले पीओज़ को जारी रखने से बची मात्रा पर निधियों का अवरोधन हुआ।

निष्कर्ष

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पता चला कि महत्वपूर्ण समय (आठ वर्षों) के बावजूद पिछली लेखापरीक्षा से पिछली लेखापरीक्षा में बताई गई प्रयोक्ता जागरूकता अभाव और इनपुट नियंत्रण, वैधीकरण जाँच, प्रतिपूरक आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को ठीक से नहीं देखा गया ताकि स्टॉक और समय पर डाटा जुटाया जा सके। पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई चार सिफारिशों में से कंपनी के 2007-08 के जल्दी से जल्दी उचित कार्रवाई करने के आश्वासन के बावजूद केवल एक पर कार्रवाई की गई थी।

मामले को मार्च 2015 में मंत्रालय को बताया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

3.8 पुनर्निर्माण के बावजूद जल इंजेक्शन प्लेटफार्म का कम-उपयोग

1984 में चालू जल इंजेक्शन प्लेटफार्म (डब्ल्यूआईएन), के मुंबई हाई उत्तरी क्षेत्र में मुख्य जल इंजेक्शन हब है। डब्ल्यूआईएन पुनर्निर्माण परियोजना का इसकी सहायक पाइपलाइनों से न जोड़ने और मुख्य इंजेक्शन पम्प की मरम्मत में देरी ₹ 726.50 करोड़ का व्यय करने के बाद भी परिकल्पित जेक्शन क्षमता को पूरा नहीं किया जा सका।

जल इंजेक्शन एक विकसित क्षेत्र से सतत उत्पादन के लिए बेहतर जलाशय प्रबंधन हेतु प्रयुक्त एक प्रणाली है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (कंपनी) का डब्ल्यूआईएन प्लेटफार्म 1984 में चालू किया गया था और 3,40,000 बैरेल जल प्रतिदिन (बीडब्ल्यूपीडी) की जल इंजेक्शन क्षमता वाले अपने मुंबई हाई उत्तरी (एमएचएन) क्षेत्र में मुख्य जल इंजेक्शन हब है। अधिक समय, अत्यधिक खारे वातारण, कई प्रणालियों की

स्थिति और इस प्रमुख परिसर के मुख्य उपकरण खराब थे और पाइपलाइनों (डब्ल्यूआईएन-डब्ल्यू 13, एनआर-एन 7 और एन 8-एनक्यूओ) में रिसाव हो गया। परिणामस्वरूप डब्ल्यूआईएन की संचालनात्मक क्षमता 2008 तक घटकर 2,90,000 बीडब्ल्यूपीडी रह गई और प्लेटफार्म एमएचएन क्षेत्र के जलाशयों के लिए जल उठाने की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं रहा। इस प्रकार कंपनी ने डब्ल्यूआईएन प्लेटफार्म पर बेहतर सुविधा मुहैया कराने, बेहतर जलाशय प्रबंधन हेतु पाइपलाइनों की मरम्मत/बदलने और पुराने क्षेत्रों से वसूली कारक में भी वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस की।

मई 2008 में, कंपनी ने 3,12,720 बीडब्ल्यूपीडी की औसत उच्च जल इंजेक्शन की परिकल्पना करते हुए डब्ल्यूआईएन के पुनर्निर्माण की मंजूरी दी। पुनर्निर्माण कार्य में मुख्य इंजेक्शन परम्मों (एमआईपीएस) के मोटर और अन्य संबंधित उपकरण/औजारों, नियंत्रण प्रणाली का पुनर्निर्माण आदि व्यापक रूप से निहित थे। पुनर्निर्माण परियोजना को 141.24 मिलियन यूएस डालर (₹ 726.50 करोड़) की लागत से मै. लिंटन कांट्रैक्टर्स (इंडिया) प्रा. लि., मुंबई और मै. दास ऑफशोर इंजीनियरिंग प्रा. लि., नवी मुंबई के संघ को दिया गया था (फरवरी 2011)। डब्ल्यू आईएन प्लेटफार्म के पुनर्निर्माण की परियोजना जुलाई 2012 में पूरी हुई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- डब्ल्यूआईएन प्लेटफार्म से आठटपुट, लक्षित सुधार की बजाए पुनर्निर्माण के पश्चात और कम हो गया। डब्ल्यूआईएन प्लेटफार्म की परियोजना-पूर्व संचालन दर 2,90,000 बीडब्ल्यूपीडी थी (मार्च 2008) जबकि परियोजना के बाद संचालन दर केवल 2,38,767 बीडब्ल्यूपीडी थी (अगस्त 2012)। हालांकि नवम्बर 2012 तक थोड़ा सुधार हो के 2,54,407 बीडब्ल्यूपीडी हो गया। निष्पादन में परिकल्पित सुधार (3,12,720 बीडब्ल्यूपीडी) अभी तक तो नहीं पूरा हो पाया था (जनवरी 2015)। वास्तव में अगस्त 2012 से नवम्बर 2014 तक माहवार सूचना के विश्लेषण से पता चला कि 2,90,000 बीडब्ल्यूपीडी के परियोजना पूर्व निष्पादन तक भी यह सुविधा कभी नहीं पहुँच पाई थी।
- परियोजना के अनुमोदन के समय (मई 2008) कंपनी को पता था कि वाटर इंजेक्शन हेतु डब्ल्यूआईएन प्लेटफार्म से जुड़ी डब्ल्यूआईएन और डब्ल्यू 13 प्लेटफार्म्स (डब्ल्यूआईएन-डब्ल्यू 13 पाइपलाइन), एनआर तथा एनआर-7 प्लेटफार्म (एनआर-एन 7 पाइपलाइन) तथा एन 8 एवं एनक्यूओ प्लेटफार्म (एन 8-एनओक्यू पाइपलाइन) से जुड़ी तीन पाइपलाइनों में लीकेज था। हालांकि कंपनी

ने फरवरी 2011 में डब्ल्यूआईएन-डब्ल्यू 13 पाइपलाइन को बदल दिया तथा अप्रैल 2014 में एनआर-एन 7 के क्षतिग्रस्त भाग को आंशिक रूप से बदल दिया। तीसरी पाइपलाइन की अभी तक मरम्मत/बदला नहीं गया था (जनवरी 2015)।

इस प्रकार, डब्ल्यूआईएन परियोजना के पुनर्निर्माण को इससे जुड़ी पाइपलाइनों को बदलते/मरम्मत की आवश्यकता में तालमेल न होने, जल इंजेक्टर्स (डब्ल्यूआईज़) की कमी और दुलमुल खेये से सुधारात्मक कार्रवाई की योजना के बिना एमआईपीज के कायाकल्प में देरी के कारण ₹ 726.50 करोड़ का व्यय करने के बावजूद प्लेटफार्म की अभिकल्पित जल निकासी क्षमता को पूरा नहीं किया जा सका।

कंपनी ने बताया (जनवरी 2013) कि डब्ल्यूआईएन परियोजना में गिरावट जल इंजेक्शन लाइनों अर्थात् डब्ल्यू 13 डब्ल्यू 12, एनआरएन 7 तथा डब्ल्यूआईएन-एनक्यूओ में रिसाव के कारण था। परिणामस्वरूप 90,330 बीडब्ल्यूपीडी की क्षमता वाली चौथी एमआईपी जल निकासी हेतु उपलब्ध नहीं था। प्रबंधन ने भी डब्ल्यूआईज में गिरावट को माना और बताया कि चौथी एमआईपी के कायाकल्प से डब्ल्यूआईएन प्लेटफार्म की जल निकासी क्षमता बढ़ सकती है।

कंपनी के उत्तर को ढीले और अपर्याप्त कार्यवाही के नजरिए से देखे जाने की आवश्यकता है जैसा कि नीचे बताया गया है:

- 2008 की शुरुआत से डब्ल्यूआई प्लेटफार्म के जल निकासी लाइनों में समस्याएँ देखी गई थी। यद्यपि पाइपलाइनों की मरम्मत की संकल्पना डब्ल्यूआईएन प्लेटफार्म के पुनर्निर्माण (मई 2008) हेतु अनुमोदन माँगते समय की गई थी और पाइपलाइनों की जीवनअवधि समाप्त हो गई थी, इस गतिविधि की समाप्ति और सिंक्रोनाइज़ेशन डब्ल्यूआईएन प्लेटफार्म के पुनर्निर्माण की समाप्ति पर सुनिश्चित नहीं किया गया था। पाइपलाइनों में रिसाव की मरम्मत की जा रही थी जैसा और जब देखा गया।
- डब्ल्यूआईएन प्लेटफार्म के परिकल्पित पुनर्निर्माण के साथ इसकी लक्षित क्षमता प्राप्त करने हेतु जल निकासी पाइपलाइनों की समुचित कार्यपद्धति आवश्यक थी। कंपनी की पाइपलाइन बदलाव नीति के अनुसार, जल निकासी पाइपलाइन की आयुसीमा इसके चालू होने से 15 वर्ष तक है। डब्ल्यूआईएन से जुड़ी जल निकासी पाइपलाइन भी 1984 प्लेटफार्म के चालू होने के साथ ही चालू हो गई थी इसलिए अक्टूबर 2003 में निर्धारित पाइपलाइन मापदण्ड के अनुसार 15 वर्षों के बाद पाइपलाइन अवश्य बदल दिए जाने थे।

- यद्यपि कंपनी ने पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना (पीआरपी) (2008-11) में एनआर और एन 7 से जुड़ी पाइपलाइन का प्रतिस्थापन शामिल था, अभी तक (जनवरी2015) एनआर-एन 7 का पूर्णतः प्रतिस्थापन नहीं किया गया था। इसके कारण भी जल निकासी लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका। डब्ल्यूआईएन-एनक्यूओ हेतु पाइपलाइन की न तो मरम्मत की गई थी और न ही पीआरपी परियोजना में शामिल किया गया था जबकि पाइपलाइनों से लगातार रिसाव हो रहा था।
- एमआईपीज़, डब्ल्यूआईएन प्लेटफार्म जितने पुराने थे। दो एमआईपी का कार्यक्रम दिसम्बर 2012 से जनवरी 2013 के दौरान पूरा हुआ और उनमें से दो जनवरी 2015 तक लंबित थे। इससे जल निकासी पर भी प्रभाव पड़ा तथा अभिकल्पित क्षमता प्राप्त नहीं हुई।

मामले को फरवरी 2014 में मंत्रालय को बताया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

3.9 ठेका देने के पश्चात् कार्यक्षेत्र में बदलाव तथा मूल परियोजना में व्यवधान के कारण परिहार्य व्यय

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (कंपनी) ने ठेकेदार को ठेका देने के बाद एक तेल परिसर (अर्थात् एसएचपीसी) के पुनर्गठन/पुनर्निर्माण का कार्यक्षेत्र बदल दिया जिससे परियोजना पूरी होने में विलम्ब और ₹ 32.29 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अलावा, अन्य तेल परिसर (अर्थात् एनक्यूपीसी) के पुनर्निर्माण/आशोधन के निष्पादन हेतु कंपनी द्वारा इंटरफेस मुद्दों पर गौर नहीं किया गया जिससे ₹ 55.30 करोड़ का परिहार्य व्यय एवं विलम्ब हुआ।

अन्य में से तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (कंपनी) के साथ हीरा प्रोसेस कांप्लेक्स (एसएचपी काम्प्लेक्स) और एनक्यू प्रॉसेस कांम्प्लेक्स (एनक्यूपी कांप्लेक्स) भारत के पश्चिम तटीय मुंबई हाई फील्ड में स्थित दो सबसे पुराने तेल परिसर हैं। पाँच प्लेटफार्मों अर्थात् एसएचक्यू, एसएचपी और एसएचडी वाले एसएचपी परिसर 1984 में शुरू हुआ और एसएचजी, एसएचडब्ल्यू 1994 में शुरू हुआ। इसी प्रकार चार प्लेटफार्मों वाले चार प्लेटफार्म अर्थात् एनक्यूओ और एनक्यूडी 1985 में, एनजीक्यू 1986 में और एनक्यूपी 1994 में शुरू हुई।

अधिक समय और खारे परिवेश के कारण इन परिसरों/प्लेटफार्मों पर लगाई गई कुछ प्रणालियों और उपकरण की दशा खराब हुई जिसके कारण मरम्मत संबंधी समस्याओं में

वृद्धि हुई। तदनुसार, कंपनी ने इन परिसरों/प्लेटफार्मों और संबंधित सुविधाओं के व्यापक पुनर्निर्माण/पुनर्गठन का निर्णय लिया। चूँकि ये तेल परिसर तेल क्षेत्र थे, इनके पुनर्निर्माण में चालू प्लेटफार्मों को बन्द करना आवश्यक था। कार्य देने से पूर्व एक वृहद अध्ययन और योजना बनाना आवश्यक था ताकि कार्य के निष्पादन में देरी और अतिरिक्त लागत को रोका जा सके।

A. एसएचपी परिसर का पुनर्निर्माण

कंपनी ने 30 अप्रैल 2006 तक समापन हेतु ₹ 185.37 करोड़ में मै. लार्सन एण्ड ट्रिब्रो (ठेकेदार) को एसएचपी परिसर के पुनर्गठन का कार्य (एसएचआरसी परियोजना) दिया (मार्च 2005)। कार्यक्षेत्र में आग एवं गैस प्रणाली का पुनर्निर्माण, मुख्य तेल लाइन पम्प्स का प्रतिस्थापन, एक प्लेटफार्म, (एसएचक्यू) पर हेलीडेक का स्तर बढ़ाने, पैदल पुल का स्थापन और वितरित नियंत्रण प्रणाली का स्थापन/चालू करना शामिल था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने अपने पास उपलब्ध 25 वर्ष पुराने दस्तावेजों/ड्राइंग के आधार पर तैयार डिज्जाइन के आधार पर परियोजना दिया था, इस प्रकार बीच की अवधि में किए गए संशोधन से संबंधित अद्यतित ड्राइंग्स के अभाव में ठेकेदार को दिए गए ड्राइंग में परियोजना के दौरान परिवर्तन करना पड़ा था। परियोजना अंततः 2 वर्षों की देरी से 29 मई 2008 को पूरी हो पायी।

कंपनी ने बार-बार सर्वेक्षण, अपूर्ण ड्राइंग के लिए ठेकेदार की देरी, उपकरण की खरीद तथा समुद्री प्रसार करने तथा उपकरण की खरीद में देरी को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि ठेकेदार ने कंपनी की दलील को ठुकरा दिया और दावा किया कि देरी का कारण (क) ठेका देने के पश्चात् कार्यक्षेत्र में बदलाव; (ख) इंजीनियरिंग ड्राइंग की मंजूरी में देरी; (ग) अनुसूची के अनुसार गैर अनुमत एसएचपी परिसर का बन्द होना; (घ) अन्य परमिटों की कार्यपद्धति को अपनाने और जारी करने में मनाही तथा देरी; (ड.) कार्यस्थल तक पहुँच की मनाही (च) परिणामस्वरूप नाव का स्थिर/अकार्यशील पड़े रहना था। ठेकेदार ने इसके लिए ₹ 85.48 करोड़ का दावा किया।

ठेकेदार ने 18 सितम्बर 2009 को बाहरी विशेषज्ञ समिति* को दावा भेज दिया।ओईसी की सिफारिश (11 नवम्बर 2010) के आधार पर कंपनी ने ठेकेदार की ₹ 28.31 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया (17 अक्टूबर 2011)।

* ओईसी – ठेकेदार और कंपनी के बीच के विवादों को निपटाने हेतु कंपनी द्वारा अपनाया गया एक तत्र

चूँकि प्लेटफार्म बन्द नहीं हुआ था और सत्र 2005-06 में 14 दिनों के लिए ठेकेदार को उपलब्ध नहीं कराया गया था, ठेकेदार को अपना जहाज अतिरिक्त दिनों के लिए तैनात करना पड़ा और अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। ओईसी की सिफारिशों पर कंपनी द्वारा ठेकेदार के ₹ 23.62 करोड़ के दावे के प्रति कम्पनी ने ₹ 3.98 तक भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ठेकेदार को परियोजना का ठेका दिये जाने से पूर्व कंपनी द्वारा कार्य के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया गया था, और इसके साथ ही परियोजना का ठेका देने के बाद इसमें बदलाव का प्रस्ताव दिया गया जिसके कारण परियोजना के निष्पादन के दौरान ₹ 32.29 करोड़ का परिहार्य व्यय तथा देरी हुई।

B. एनक्यूपी परिसर का पुनर्निर्माण

एनक्यूपी परिसर के पुनर्निर्माण का कार्य 08 मई 2008 तक पूरा होने के उद्देश्य से जून 2007 में 76.79 मिलियन यूएस डालर + ₹ 561.71 करोड़ में उपरोक्त 'क' अनुसार उसी ठेकेदार को कार्य का ठेका दिया गया था।

परियोजना के निष्पादन के दौरान तीन मूल परियोजनाओं (अर्थात् एनक्यू-आरसी, एनक्यूडी-पुनर्निर्माण एवं पीआरपी-II) का पुनर्निर्माण विभिन्न ठेकेदारों द्वारा एनक्यूपी परिसर में साथ-साथ निष्पादित की जा रही थी जिसके लिए कई जहाजों की तैनाती की आवश्यकता थी। सभी तीन परियोजनाओं पर चातू कार्य में बीच में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा जिसका कंपनी द्वारा साथ-साथ चल रही तीनों परियोजनाओं का ठेका देने से पूर्व आकलन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप कंपनी पहाजों को केवल एक-एक कर जगह दे सकी जिससे परियोजना की समय पर समाप्ति में बाधा पहुँची। मूल परियोजनाओं में बीच की बाधाओं के कारण ठेकेदार द्वारा 150.6 जहाज दिवसों तक जहाज तैनाती करनी पड़ी। ठेकेदार ने अतिरिक्त दिनों हेतु 18.825 मिलियन यूएस डालर (₹ 84.71 करोड़)* का दावा किया। इस पर ठेकेदार द्वारा किए गए दावे को एक बाहरी विशेषज्ञ समिति को भेज दिया गया था (11 मार्च 2010)। ओईसी ने 90.4 जहाज दिवसों के लिए कंपनी को जिम्मेदार माना। तदनुसार, कंपनी ने 11.3 मिलियन यूएस डॉलर (₹ 50.85 करोड़ के ठेकेदार के दावे को मान लिया। इसके अतिरिक्त, ओईसी ने यह भी देखा (27 अप्रैल 2011) कि अन्य 30.9 जहाज दिवसों के लिए कार्गी की तैनाती के लिए भी कंपनी जिम्मेदार थी। इससे 0.99 मिलियन यूएस डालर (₹ 4.45 करोड़) का अतिरिक्त व्यय हुआ। अतः ओईसी की सिफारिश पर कंपनी ने ₹ 55.30 करोड़ का ठेकेदार का दावा मान लिया।

* 125,000 प्रति जहाज दिवस की दर से 150.6 जहाज दिन। 1 यूएसडालर = 45 आईएनआर।

इस प्रकार, कंपनी द्वारा परियोजना का ठेका दिए जाने से पूर्व मध्यावधि बाधाओं पर गौर नहीं किया गया जिसके कारण ₹ 55.30 करोड़ का परिहार्य व्यय और विलम्ब हुआ।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2013) कि ओईसी ने व्यापक रूप से सब कुछ देखा और दावे की सिफारिश की। ओईसी की सिफारिशों को कंपनी द्वारा समयबद्ध तरीके से सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद निपटाने के नजरिए से स्वीकार किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। ओईसी ने ठेकेदार के दावे को पूर्ण रूप से नहीं माना था और इसके निर्णय के अनुसार ठेकेदार के पक्ष में दावे को कंपनी के ऊपर अतिरिक्त लागत का जिम्मेदार ठहराया गया था। लेखापरीक्षा ने ऐसे दावों के केवल कुछ भागों को लिया है जैसा कि ओईएम द्वारा सिफारिश की गई थी और कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया था।

मामले को फरवरी 2014 में मंत्रालय को बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

3.10 तकनीकी रूप से अपात्र बोलीदाताओं की घटना पर पुनर्निविदाकरण के कारण अतिरिक्त व्यय

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने दो परियोजनाओं- (i) हीरा एण्ड साठथ हीरा चरण II का पुनर्विकास तथा (ii) सी-सिरीज़ क्लस्टर से न्यूनतम बोलीदाता अर्थात् ‘ए’ के चरण III के विकास के उन्नतीकरण हेतु निविदा दिया। एक तकनीकी अपात्र बोलीदाता अर्थात् ‘बी’ द्वारा प्रस्तुतीकरण पर पार्टी ‘ए’ के साथ बातचीत की गई थी। बातचीत की शर्तों पर सहमति से ‘ए’ द्वारा मना करने पर कार्य का दुबारा निविदा किया गया जिसके कारण ₹ 19.45 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि. (कंपनी) ने ‘हीरा पनुर्विकास चरण II पाइपलाइन परियोजना’ को अनुमोदन दिया (मार्च 2012)। उसी बैठक में, कंपनी ने ‘सी-श्रेणी क्लस्टर के चरण III के विकास के उन्नतीकरण’ का भी अनुमोदन दिया। दोनों परियोजनाओं के लिए पाइपलाइनों की खरीद हेतु 29 अक्टूबर 2012 तक अधिसूचना निकालने (एनओए), अनुसूचित प्लेसमेंट तथा 30 अप्रैल 2014 तक परियोजना के अनुसूचित समापन के साथ मई 2012 में एक एक सामान्य निविदा आमंत्रित किया गया था। छ: बोलीदाताओं ने अपनी बोलियां प्रस्तुत की (सितम्बर 2012) जिसमें से पाँच को तकनीकी रूप से स्वीकार्य पाया गया (दिसम्बर 2012)। पार्टी ‘बी’ की बोली को तकनीकी रूप से स्वीकार्य नहीं पाया गया क्योंकि पार्टी अपेक्षित अनुभव मानदण्ड

नहीं पूरा करती थी। पार्टी ‘बी’ इस निर्णय के विरुद्ध ओएनजीसी के पास गई (दिसम्बर 2012) जिसे खारिज कर दिया गया।

कंपनी ने 1 जनवरी 2013 को पाँच तकनीकी अर्हक बोलीदाताओं की बोली का मूल्य खोला और पार्टी ‘ए’ की 190.24 मिलियन¹ यूएस डालर की बोली को न्यूनतम पाया। पार्टी ‘बी’ ने यह कहते हुए स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर्स (आईएम)² के सामने दुबारा दलील दी (दिसम्बर 2012) कि यह विवेकाधीन था और कंपनी द्वारा अनुचित व्यवहार किया गया। आईईएम ने सिफारिश दिया कि स्पष्टीकरण हेतु कंपनी को पार्टी ‘बी’ का उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत था और यह कि पार्टी ने पाइपलाइन कार्यों की स्थापना किए बिना ऐसे करने का दावा किया था। पार्टी ‘बी’ ने कंपनी को यह कहते हुए दुबारा एक पत्र लिखा (जनवरी 2013) कि इसकी बोली, प्राप्त न्यूनतम बोली से 21 मिलियन यूएस डालर कम थी। आईईएम ने निर्णय लिया (जनवरी 2013) कि क्योंकि उन्होंने पार्टी ‘बी’ की कार्यवाही पर निष्कर्ष दे दिया था और पार्टी ‘बी’ की बोली को तकनीकी आधार अस्वीकार कर दिया गया था, कंपनी द्वारा बोली मूल्य को नहीं खोला गया, इसलिए एक बिना खुले बोली पर कोई व्यक्ति किया जा सकता था।

निविदा समिति (टीसी) ने निर्णय लिया (जनवरी 2013) कि चूँकि केवल तकनीकी वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य निविदाओं की बोली मूल्यों को खोला गया था और आगामी मूल्यांकन हेतु विचार किया गया था, एक तकनीकी रूप से अस्वीकृत बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित मूल्य को खोलने पर ध्यान नहीं दिया जा सकता था। इसने 190.24 मिलियन³ यूएसडालर की लगभग उद्धृत मूल्य पर पार्टी ‘ए’ को कार्य का ठेका देने की सिफारिश की। कार्यकारी क्रय समिति (ईपीसी) ने टीसी की सिफारिश प्राप्त करते समय नोट किया (फरवरी 2013) कि चूँकि पार्टी ‘बी’ द्वारा उद्धृत मूल्य पार्टी ‘ए’ के उद्धृत मूल्य से काफी कम था इसलिए पार्टी ‘ए’ से पार्टी ‘बी’ के बराबर मूल्य हेतु बातचीत की जानी चाहिए। पार्टी ‘ए’ ने पार्टी ‘बी’ के मूल्य के अनुरूप अपना मूल्य करने से मना कर दिया (फरवरी 2013) और बिना देरी किए आड़र देने का अनुरोध किया।

¹ हीरा पुनर्विकास पाइपलाइन परियोजना के भाग हेतु उद्धृत मूल्य 98.67 मिलियन यूएस डालर था।

² यह कंपनी की एक आंतरिक व्यवस्था है जिसमें बोली मूल्यांकन ठेका देने आदि से संबंधित विवादों के समाधान हेतु वरिष्ठ सरकारी कार्मिकर्ता 1 से 3 सदस्यों का एक पैनल है। आईईएम के अवलोकन सिफारिश प्रकृति की है। (स्रोत: 20 और 21 जुलाई 2013 को आयोजित ‘कारोबारी साझेदारी’ बैठक में ओएनजीसी की प्रस्तुतीकरण।

³ कंपनी द्वारा गणना के अनुसार हीरा परियोजना के लिए 98.67 मिलियन यूएस डालर सहित।

तत्पश्चात् फरवरी 2013 में टीसी जिसका पहले ये मानना था कि तकनीकी रूप से अनर्हक बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य को बिल्कुल भी न माना जाए, उसी ने पार्टी ‘ए’ की बोली को रद्द करने, निविदा बंद करने और दुबारा निविदा निकालने की सिफारिश की। ईपीसी ने टीसी की सिफारिशों मान ली (मार्च 2013)। चूँकि हीरा पुनर्विकास चरण II परियोजना को फास्ट ट्रैक आधार पर अंतिम रूप दिया जाना था, ईपीसी ने सुझाव दिया कि इसका अलग से निविदा आमंत्रित किया जाए।

हीरा पुनर्विकास चरण II परियोजना के लिए मार्च 2013 में निविदा आमंत्रित किया गया और निविदाकरण प्रक्रिया में बोलियों के मूल्यांकन पर पिछले निविदा में पार्टी ‘ए’ के 98.67 मिलियन यूएस डॉलर के प्रति 102.22 मिलियन यूएस डॉलर (लाइक टू लाइक आधार पर कंपनी द्वारा गणना के अनुसार) की न्यूनतम बोली देने पर मुंबई की पार्टी ‘सी’ को कार्य का ठेका दिया गया (अप्रैल 2013)। समापन की निर्धारित तिथि 15 मई 2014 थी।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें देखीं:

- कार्य में विलम्ब हो गया और कंपनी द्वारा ठेकेदार को आपूर्त किए जाने वाले मुफ्त निर्गम वस्तुओं के अनुपलब्धता के कारण ठेके को पहले ही 15 मई 2015 तक बढ़ा दिया गया।
- पार्टी ‘बी’ की बोली तकनीकी रूप से अमान्य होने पर कंपनी की सामग्री प्रबंधन नियमावली में आदेशित दो बोली बोलीकरण प्रक्रिया के अनुसार इसके बोली मूल्य को खोला ही नहीं जाना था। इसलिए पार्टी ‘बी’ की बोली पर विचार नहीं किया जाना था। इसके बावजूद कंपनी ने पार्टी ‘ए’ को पार्टी ‘बी’ की बोली मूल्य के अनुरूप करने को कहा। चूँकि पार्टी ‘ए’ ने इससे मानने से इंकार कर दिया था, निविदा को रद्द कर दिया गया था। दुबारा-निविदा से पिछली निविदा में प्राप्त बोली से अधिक बोली को बढ़ावा मिला।
- ठेके की अधिसूचना (एनओए) अक्टूबर 2012 में निकाला जाना था जिसे नवम्बर 2012 और फिर जनवरी 2013 तक बढ़ाया गया और अंततः मार्च 2013 में योजना बनी। इससे 14 महीनों की मूल परिकल्पित समापन अवधि से 18 महीने कम हो गए। पार्टी ‘ए’ ने 21 फरवरी 2013 के बाद एनओए के विस्तार को बिना शर्त स्वीकार नहीं किया। निविदा को समाप्त कर दिया गया और 30 मई 2014 से पहले परियोजना की अनिवार्य समाप्ति का उल्लेख करते

हुए कार्य का पुनः निविदा किया गया। हालांकि परियोजना में 15 मई 2015 तक विस्तारित समापन तिथि से विलम्ब हुआ है।

इस प्रकार एक तकनीकी रूप से अपात्र बोलीदाता की बिना खुली मूल्य बोली को महत्व देने और एक तकनीकी रूप से स्वीकार्य प्रस्ताव की स्वीकार्यता में देरी करके कंपनी ने एक वर्ष की देरी के साथ हीरा-पुनर्विकास चरण II पाइपलाइन परियोजना के प्रति ₹ 19.45 करोड़^{*} अतिरिक्त व्यय किया। इस प्रकार कंपनी ने निविदा को रद्द करके और और पुनर्निविदाकरण से दोनों उद्देश्यों अर्थात् 30 मई 2014 तक समाप्ति तथा न्यूनतम बोली मूल्य प्राप्त करने में विफल रही।

कंपनी ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2014) कि यद्यपि पार्टी 'बी' ने पाइपलाइन स्थापन हेतु अपने उप-ठेकेदारों का उल्लेख नहीं किया, इसने अन्य सक्षम उप-ठेकेदार की सहायता से पूर्व में कंपनी की समान परियोजनाओं का निष्पादन किया था, इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि पार्टी 'बी' द्वारा उद्भूत बोली मूल्य को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। कंपनी ने यह भी बताया कि चूंकि पार्टी 'ए' ने परियोजना समापन तिथि की बिना शर्त स्वीकार्यता की पुष्टि नहीं की थी, इसकी बोली को खारिज करने योग्य पाया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बताया कि एकमुश्त टर्नकी (एलएसटीके) निविदाओं में पूरे कार्य हेतु बोलीदाताओं के उद्धरण और उनकी बोलियों का बिना अवयव-तुलना के उनके द्वारा उद्भूत एकमुश्त मूल्य के आधार मूल्यांकन किया जाता है क्योंकि कार्य का ठेका एलएसटीके आधार पर दिया जाना होता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने बोलीदाताओं से प्राप्त स्पष्टीकरण और तकनीकी बोलियों पर विचार करने के पश्चात निर्णय लिया था कि पार्टी 'बी' तकनीकी रूप से अनर्हक थी। आईईएम ने भी इसे पृष्ठांकित किया था। इसलिए पार्टी 'बी' द्वारा उद्भूत बोली पर विचार करना सही नहीं था। इस तथ्य को कि ठेकेदार ने परियोजना समापन तिथि की बिना शर्त स्वीकार्यता की पुष्टि नहीं की थी, को चार महीनों तक की परियोजना कार्यान्वयन अवधि की तुलना के संदर्भ में देखा जाना चाहिए तथा इस तथ्य के संदर्भ में भी कि ठेकेदार को कंपनी द्वारा सामग्री की गैर-आपूर्ति के कारण पुनर्निविदाकरण के बाद परियोजना के समापन को एक वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। यदि कंपनी ने टीसी द्वारा सिफारिश के अनुसार जनवरी 2013 में पार्टी 'ए' को कार्य का ठेका दिया होता तो परियोजना समापन तिथि की बिना शर्त स्वीकार्यता की पुष्टि

* (102.22 मिलियन यूएस डॉलर - 98.67 मिलियन डॉलर)* 10,00,000*54.76

का प्रश्न ही नहीं उठता। कंपनी ने वर्तमान निविदा के 102.37 मिलयन यूएस डॉलर में मूल्य के दिए गए मूल्य के साथ ‘ऑन लाइक टू लाइक’ आधार पर कार्य अवयव-वार तुलना द्वारा पार्टी ‘ए’ (पूरानी न्यूनतम निविदा) का मूल्य 98.67 मिलियन डालर निकाला था। कंपनी द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय को लेखापरीक्षा में लिया गया है और इसलिए यह तर्क कि एलएसटीके ठेके में अवयव-वार तुलना अवैध है, स्वीकार्य नहीं है।

मामले को नवम्बर 2014 में मंत्रालय को बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

3.11 रियायती सीमाशुल्क न लेने के कारण अतिरिक्त व्यय

तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड, पात्र होते हुए भी ईपीसीजी योजना के तहत रियायती सीमाशुल्क लेने हेतु सितम्बर 2004 में पूँजीगत वस्तुओं की खरीद हेतु निविदा में एक खण्ड शामिल करने में विफल रही जिसके कारण ₹ 7.41 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

पूँजीगत वस्तुओं के आयात के लिए निर्यात प्रोत्साहन पूँजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना अगस्त 2004 से ही उपलब्ध थी। इस योजना के पैरा 5.2 के अनुसार उत्पादन-पूर्व, उत्पादन एवं उत्पादन के पश्चात हेतु पूँजीगत वस्तुओं पर तीन प्रतिशत रियायती सीमाशुल्क दर पर आयात अनुमत था बशर्ते कि प्राधिकरण जारी करने की तिथि से आरंभ हो रहे आठ वर्षों में खत्म की जाने वाली योजना के अंतर्गत आयातित पूँजीगत माल बचाये गये आठ गुणा अधिक शुल्क के समान निर्यात इयूटी हो।

योजना के तहत ईपीसीजी लाभ लेने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (कंपनी) ने कार्यात्मक जवाबदेही निर्धारित करते हुए एक कार्यालय आदेश जारी किया (सितम्बर 2004)। कार्यालय आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ अहक आपूर्ति आदेश की पहचान करने वाली प्रणाली, अप्लीकेशन तैयार करना और योजना के प्रावधानों के अनुरूप ईपीसीजी लाइसेंस प्राप्त करना शामिल था। जुलाई 2008 में, कंपनी ने ईपीसीजी का लाभ लेने हेतु मुंबई में एक अलग ईपीसीजी बनाया और सेल की भूमिका और जिम्मेदारी निर्धारित किया।

कंपनी ने उन में एलपीजी-1 संयंत्र पर न्यू प्रोपेन गैस प्रोसेसर परियोजना हेतु दो बोली प्रणाली के तहत खुली अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से निविदा आमंत्रित किया (जून 2009)। कार्यक्षेत्र में डिजाइन, खरीद और न्यू प्रोपेन गैस कंप्रैसर (मोटर चालित) की स्थापना तथा इसे मौजूदा सुविधाओं से जोड़ना था।

कंपनी ने 31 मार्च 2010 को मै. सेवियर एनर्जी लिमिटेड (सेल), नवी मुंबई को ठेका दिया तथा 29 अप्रैल 2010 को सेल के साथ करार किया। परियोजना को 22 महीनों अर्थात् 30 जनवरी 2012 तक समाप्त होना था जो अंततः 17 जुलाई 2012 को समाप्त हुई।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित देखा:

कंपनी द्वारा निविदा आमंत्रण के समय बोलीदाताओं हेतु प्रकाशित ठेका की सामान्य शर्तों (जीसीसी) में बताया था कि बोलीदाताओं को सीमाशुल्क से कोई रियायत नहीं दी जाएगी इसलिए उनको सुझाव दिया जाता है कि वे आयातित वस्तुओं पर लागू सामान्य सीमाशुल्क को ध्यान में रखते हुए अपना मूल्य उद्धृत करें।

ईपीसीजी योजना के तहत अर्हक वस्तुओं पर रियायती सीमाशुल्क का लाभ लेने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपने कार्यकारियों की कार्यात्मक जिम्मेदारी तय करने (सितम्बर 2004) और इसके लिए क्रय आदेश/ठेकों की पहचान करने हेतु एक संबंधित ईपीसीजी सेल बनाने (जुलाई 2008) के बावजूद भी कंपनी एलपीजी-I संयंत्र उरन के लिए न्यू प्रोपेन गैस कंप्रैसर की खरीद हेतु निविदा और ठेके में लाभ लेने के लिए उपयुक्त प्रावधान शामिल करने में विफल रही।

सेल के साथ ठेके पर हस्ताक्षर करने के एक वर्ष बाद कंपनी ने 23.75 प्रतिशत¹ की सामान्य दर के बजाए 3.09 प्रतिशत की दर पर रियायती सीमाशुल्क का लाभ लेने की आवश्यकता महसूस की और इसका लाभ लेने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श हेतु सेल को आमंत्रित किया (29 अप्रैल 2011)। कंपनी ने मामले पर सेल के साथ विचार-विमर्श किया (मई 2011)। हालांकि सेल ने बताया (अक्टूबर 2011) कि चूंकि (i) ईपीसीजी खण्ड को निविदा के समय विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था और ठेके का भाग नहीं था और (ख) अनुमोदन लेने में निहित प्रक्रिया बहुत बड़ी थी और इतने कम समय में इसे पूरा करना सम्भव नहीं हो सकता था तथा वेंडर से प्रेषण हेतु मशीन तैयार थी इसलिए इस परिस्थिति में ईपीसीजी विकल्प के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता था। कंपनी ने मामले पर सेल से पुनः विचार-विमर्श किया (नवम्बर 2011)। सेल ने बताया कि चूंकि इस खण्ड को निविदा में शामिल नहीं किया गया था इसलिए तैयारशुदा ठेके के लिए उद्धरण करते समय इस पहलू को अलग नहीं किया गया था। अंततः कंपनी ने मान लिया (नवम्बर 2011) कि ईपीसीजी का लाभ लेने हेतु और कार्रवाई संभव नहीं था।

¹ बिल ऑफ एंटी और कंपनी द्वारा अदा सीमाशुल्क के आधार पर।

अतः निविदा शर्तों में ईपीसीजी से संबंधित खण्ड न जोड़कर कंपनी ने रियायती सीमाशुल्क का लाभ लेने का अवसर खो दिया जिसके कारण ₹ 7.41 करोड़¹ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

कंपनी ने बताया (सितम्बर 2014) कि ईपीसीजी लाभ की उपलब्धता को बोली से पूर्व/निविदा प्रक्रिया के दौरान बोलीदाताओं को विशेष रूप से नहीं बताया गया लेकिन इसके द्वारा ईपीसीजी लाभ लेने का भरपूर प्रयास किया गया था। यह भी बताया गया कि ₹ 7.41 करोड़ का सीमाशुल्क भारत सरकार के पास गया और किसी निजी पार्टी को वित्तीय लाभ नहीं दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय संपत्ति माँग करती है कि कोई भी व्यय परिस्थिति की माँग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तात्कालिक खरीद में कंपनी ने जरूरत से ज्यादा खर्च किया। इसके अतिरिक्त, यद्यपि ₹ 7.41 करोड़ का सीमाशुल्क भारत सरकार के खाते में जमा हुआ कंपनी व्यापार करते समय अपने वाणिज्यिक हितों की समुचित सुरक्षा द्वारा इस व्यय को बचा सकती थी।

मंत्रालय ने कंपनी के उत्तर को अग्रेषित किया (12 जनवरी 2015) जिसमें बताया गया था कि पहला मामला था जो कंपनी के ऑफशोर टेक्नॉलॉजी प्रोजेक्ट्स (ओटीपी) विभाग द्वारा हैंडल किया गया था और निविदा के जीसीसी में ईपीसीजी खण्ड को शामिल न करना अनपेक्षित चूक थी।

मंत्रालय द्वारा अग्रेषित कंपनी के उत्तर को इस तथ्य के प्रति भी देखा जाना चाहिए कि वर्तमान मामले हेतु निविदा 2009 में जारी की गई थी जबकि कंपनी ने 2008 में ही दिए गए आर्डरों पर ईपीसीजी मामलों में रियायती सीमाशुल्क का लाभ लिया था। इसके अलावा मंत्रालय/कंपनी ने अपने उत्तर (जनवरी 2015) में निविदा के जीसीसी में ईपीसीजी खण्ड को शामिल न करने के चूक को मान लिया।

¹ठेकेदार द्वारा अदा ₹ 8.52 करोड़ का वास्तविक सीमाशुल्क ऋण ईपीसीजी के तहत 3.09 प्रतिशत की दर से ₹ 1.11 करोड़ का देय रियायती सीमाशुल्क।

3.12 मरम्मत में असामान्य देरी और बताई गई ड्रिल साइटों तथा पहुँच मार्गों को छोड़ देने के कारण किराए का परिहार्य भुगतान

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने 125 ड्रिल साइटों/पहुँच मार्गों जिन्हें फरवरी 2008 और दिसम्बर 2013 के बीच छोड़ दिया गया था, के संबंध में समय पर भूमि मालिकों को भूमि वापस करने और मरम्मत में देरी की जिसके परिणामस्वरूप भूमि मालिकों को किराए के प्रति ₹ 6 करोड़ का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड (कंपनी) ने तेल एवं गैस के उत्पादन हेतु कुएँ खोदने के लिए ड्रिल साइटों हेतु तथा अस्थायी पहुँच मार्गों के लिए भी या तो भूमि अधिग्रहण प्राधिकरणों अथवा भूमि मालिकों से सीधे करार के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण करती है। भूमि का अधिग्रहण शुरू में अस्थायी आधार पर किया जाता है और भूमि मालिकों को वार्षिक किराए का भुगतान किया जाता है। तत्पश्चात्, खुदाई के परिणाम के आधार पर कंपनी द्वारा या तो भूमि का स्थायी रूप से अधिग्रहण किया जाता है अथवा पुनर्निर्माण के बाद इसे भूमि मालिकों को वापस कर दिया जाता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा जारी 2006 की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना की विशिष्ट शर्तों के संदर्भ में कंपनी को ड्रिलिंग साइटों की समाप्ति पर मूल स्थिति हेतु ड्रिल साइट के पुनर्निर्माण के लिए कदम उठाना आवश्यक है।

फरवरी 2008 से दिसम्बर 2013 के दौरान 125 ड्रिल साइटों/पहुँच मार्गों, जिनके लिए भूमि मालिकों से सीधी व्यवस्था के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में स्थित कंपनी की तीन परिसंपत्तियों¹ द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उन्हें सूखा कुओं घोषित करने के पश्चात् त्याग² दिया गया था। कंपनी ने ऐसी परित्यक्त साइटों/पहुँच मार्गों से संबंधित भूमि को भूमि मालिकों को सौंपने का निर्णय लिया। हालांकि कंपनी ने अक्टूबर 2014 तक वास्तव में केवल 45 ऐसी ड्रिल साइटों/पहुँच मार्गों से संबंधित भूमि को सौंपा था। शेष 80 परित्यक्त ड्रिल साइटों/सड़क-मार्गों से संबंधित भूमि अभी भी पुनर्निर्माण किया जाना (अक्टूबर 2014) तथा इसे भूमि मालिकों को सौंपा जाना था।³

कंपनी की भूमि अधिग्रहण नियमावली, 2009 (एलएक्यू नियमावली) के पैराग्राफ 10 में प्रावधान है कि यदि कुएँ को हाइड्रोकार्बन से रहित पाया जाए और ड्रिलिंग सेवायें/सब-सरफेस टीम (एसएसटी) द्वारा सूखा घोषित कर दिया जाए तो भूमि मालिकों से सीधी

¹ परिसंपत्ति, कंपनी की एक इकाई है जिसमें विकास एवं उत्पादन के साथ-साथ अन्य विशेषताएँ होती हैं।

² अंकलेश्वर परिसंपत्ति-51, मेहसाणा परिसंपत्ति-53 और अहमदाबाद परिसंपत्ति-21

³ अंकलेश्वर परिसंपत्ति-15, मेहसाणा परिसंपत्ति-23 और अहमदाबाद परिसंपत्ति-6

व्यवस्था के तहत अस्थायी आधार पर अधिग्रहीत भूमि को उनकी सहमति/राय लेने के पश्चात् कंपनी द्वारा उन्हें भूमि मालिकों को वापस कर दिया जाना चाहिए कि वे कंपनी से जुड़े ठेकेदारों के माध्यम से भूमि का पुनर्निर्माण कराना चाहेंगे अथवा कंपनी से पुनर्निर्माण प्रभार की प्राप्ति पर स्वयं ऐसा कर लेंगे। पुनर्निर्माण प्रभारों के भुगतान की तिथि के बावजूद भूमि मालिकों को तीन माह का किराया देय था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 45 साइटों से संबंधित लौटाई गई भूमि के संबंध में तीन महीनों की अनुमति समय सीमा जिसके लिए कंपनी की एलएक्यू नियमावली के अनुसार किराया देय था, के प्रति भूमि मालिकों को भूमि की वापसी और पुनर्निर्माण में 496 से 2,240 दिनों तक की देरी हुई थी। 80 परिव्यक्त और अभी भी वापस की जाने वाली साइटों (अक्टूबर 2014) से संबंधित भूमि के संबंध में देरी 311 से 2397 दिनों तक थी जो इन स्थानों की वास्तविक वापसी तक हो सकती थी। देरी के कारण साइटों के पुनर्निर्माण हेतु अनुमति तीन माह की समय-सीमा के बावजूद भी परित्याग तिथि से साइटों की वास्तविक वापसी के मामले में वापसी तक तथा अभी भी वापसी की जाने वाले साइटों के संबंध में अक्टूबर 2014 तक ₹ 6 करोड़ के किराए का परिहार्य व्यय हुआ था।

कंपनी ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2014) में बताया कि:

- अंकलेश्वर परिसंपत्ति के संबंध में भूमि का पुनर्निर्माण शुरू में इसी के द्वारा किया गया क्योंकि किसानों ने साइट के स्वयं के द्वारा पुनर्निर्माण करने पर जोर नहीं दिया था। हालांकि बाद में किसानों के अनुरोध पर परिसंपत्ति किसानों को पुनर्निर्माण प्रभार का भुगतान करने पर सहमत हो गई। पुनर्निर्माण प्रभारों के भुगतान को 2 भागों में करने का निर्णय लिया गया था अर्थात् शुरू में 90 प्रतिशत का भुगतान किया जाना था और बाकी का पुनर्निर्माण की समाप्ति पर किया जाना था। निर्णय में इस परिवर्तन से पुनर्निर्माण कार्यों में 2-3 वर्षों की देरी हुई और परिणामस्वरूप किसानों को किराया देना पड़ा। परिव्यक्त कुओं की संख्या बढ़ गई क्योंकि चालू पुनर्निर्माण मामलों को गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) के आवश्यक प्रमाणीकरण एमओईएफ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन तक समाप्त नहीं माना जा सकता था। परिसंपत्ति ने फिर से निर्णय लिया (मई/जून 2014) कि ऐसी सभी ड्रिल साइटों का पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा किया जाएगा और किसानों को और अधिक पुनर्निर्माण लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा। मेहसाणा और अहमदाबाद परिसंपत्तियों के संबंध में ऐसा किया गया था।

- सभी तीन परिसंपत्तियों में शीर्ष प्राथमिकता पर पुनर्निर्माण कार्यवाही पूरी करने की कार्रवाई की गई थी जिसके परिणामस्वरूप प्रक्रिया को विनियमित किया गया था। उन मामलों में जहाँ भूमि पुनर्निर्माण चालू था वहाँ एलएक्यू नियमावली के अनुसार प्रक्रिया का पालन तथा एमओईएफ/जीपीसीवी दिशा-निर्देशों को अनुपालन के पश्चात् इसे पूरा करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच, उन मामलों में जहाँ पुनर्निर्माण की समाप्ति तक मालिकों को क्षतिपूर्ति के रूप में किराएं का भुगतान किया जा रहा था वहाँ इसे अपरिहार्य कारोबार व्यय माना गया था।

निम्नलिखित को देखते हुए उत्तर तर्कसंगत नहीं है:

- अंकलेश्वर परिसंपत्ति ने मार्च 2009 तक भूमि मालिकों को पुनर्निर्माण प्रभारों का भुगतान किया। मार्च 2009 में, परिसंपत्ति ने स्वयं ही पुनर्निर्माण कार्य करने का निर्णय लिया। भूमि मालिकों ने इस व्यवस्था को नहीं माना और जुलाई 2011 में भूमि मालिकों को पुनर्निर्माण प्रभारों को भुगतान करना बहाल कर दिया गया। मई/जून 2014 से परिसंपत्ति ने स्वयं पुनर्निर्माण करने की अपनी बदल दी। भूमि के पुनर्निर्माण की नीति में लगातार बदलाव से देरी हुई।
- यह कि पुनर्निर्माण कार्य में देरी के परिणामस्वरूप 2 भागों में पुनर्निर्माण प्रभारों का भुगतान करना पड़ा, यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि देरी कंपनी की एलएक्यू नियमावली में प्रावधान के अनुसार समय-सीमा में भूमि मालिकों/परिसंपत्ति द्वारा पुनर्निर्माण कार्य करने में विफलता के कारण थी।
- अहमदाबाद परिसंपत्ति में केवल 6 साइटों को वापस किया गया था और 15 साइटों को अभी लौटाया जाना था जबकि मेहसाणा परिसंपत्ति के संबंध में 23 साइटों की भूमि वापस कर दी गई थी और बाकी 30 साइटों के लिए अभी भी वापस की जानी थी।

मामले को दिसम्बर 2014 में मंत्रालय को बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

ओएनजीसी पेट्रो एडीसन्स लिमिटेड

3.13 ठेकेदारों को ब्याजमुक्त अग्रिम देकर त्रुटिपूर्ण ठेकों और सीवीसी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में कार्य की प्रगति से उनकी वसूली को जोड़ने के कारण ब्याज की हानि हुई

ओएनजीसी पेट्रो एडीसन्स लिमिटेड (कंपनी) तीन ठेकेदारों के साथ त्रुटिपूर्ण करार किया और मार्च 2009 से नवम्बर 2011 के दौरान ब्याजमुक्त अग्रिम मुहैया कराया तथा समयबद्ध तरीके से वसूली करने के बजाए सीवीसी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में संबंधित परियोजना की प्रगति से इन अग्रिमों की वसूली को जोड़ दिया, इस कारण फरवरी 2012 से अक्टूबर 2014 तक ₹ 49.63 करोड़ ब्याज की हानि हुई। इसके बावजूद कंपनी को ब्याज की और हानि उठाते हुए अक्टूबर 2014 तक ठेकदारों से ₹ 144.20 करोड़ की ऐसी अग्रिम वसूली करनी थी।

ओएनजीसी पेट्रो एडीसन्स लिमिटेड (कंपनी) प्राकृतिक तेल एंव गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी), गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) तथा गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (जीएसपीसी) का एक संयुक्त उपक्रम (जेवी) है। कंपनी दहेज, गुजरात में एक बुनियादी मेंगा पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स बनाने में संलग्न है। काम्पलेक्स बनाने हेतु कंपनी ने तीन उच्च मूल्य के ठेके दिए (दिसम्बर 2008 से जून 2011) जिसमें ठेकेदारों को ब्याजमुक्त अग्रिम देने का प्रावधान था:

क्र. सं.	ठेका	जिसको दिया गया	ठेका मूल्य (₹ करोड़ में)	देने की तिथि	निर्धारित समाप्ति
1.	इयूअल फीड फ्रैक्टर यूनिट और संबंधित इकाईयां (डीएफसीयू और एयू)	मै. लिंडे एजी जर्मनी और मै. सैमसंग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, कोरिया का संघ	6,835.20	23 दिसम्बर 2008	22 अगस्त 2012
2.	लीनियर लो ॲसिटी पॉली- एथीलीन/हाई ॲसिटी पॉली- एथीलीन (एलएलडीपीई/ एचडीपीई) स्प्लिंग यूनिट और पॉली- एथीलीन (पीपी) इकाईयां	मै. टेक्नीमॉटस्पा, इटली और टेक्नीमॉट आईसीबी प्राइवेट लि. का संघ	2,075.80	03 जून 2011	02 अक्टूबर 2013
3.	कैप्टिव पॉवर प्लांट का चरण I एवं II	मै. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), इंडिया	1,840.00	23 सितम्बर 2010 15 अप्रैल 2011	15 अक्टूबर 2013

इन तीन ठेकों की शर्तों के अनुसार, कंपनी ठेकेदारों के अनुरोध पर बिना शर्त, बिना वसूली और अनर्हक बैंक गारंटी (बीजी) के प्रति ठेके पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् 30 दिनों के भीतर ठेका मूल्य के 10 प्रतिशत ब्याजमुक्त अग्रिम का भुगतान करेगी। उक्त अग्रिम की वसूली मूलधन के प्रति प्रत्येक इंवाइस (रनिंग बिल के रूप में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत) के कुल मूल्य में 10 प्रतिशत पर की जाएगी। संबंधित परियोजना की समाप्तिपर अथवा बकाया मूलधन की किसी भी शेष राशि की वसूली कंपनी द्वारा कंपनी के अपने और पूर्णतः विवेक पर बीजी लेकर/या अंतिम इंवाइस से की जाएगी।

तदनुसार, कंपनी ने इन तीन परियोजनाओं के ठेकेदारों को ₹ 1075.10 करोड़ की ब्याजमुक्त अग्रिम का भुगतान किया (मार्च 2009 से नवम्बर 2011) सभी तीनों परियोजनाओं में देरी हुई और अभी भी पूरी की जानी थी (अक्टूबर 2014)। हालांकि, चूंकि अग्रिमों की वसूली ठेकागत रूप से कार्य की प्रगति से जुड़ी थी, ₹ 144.20 करोड़ का अग्रिम 31 अक्टूबर 2014 तक ठेकेदारों के प्रति अभी भी बकाया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (अप्रैल 2007) में प्रावधान था कि यद्यपि ब्याजमुक्त संसाधन अग्रिम की मंजूरी को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, फिर भी यदि किसी ठेकेदार को दिया जाता है तो ऐसे अग्रिमों की समयबद्ध वसूली की जानी चाहिए न कि इसे कार्य की प्रगति से जोड़ा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए यदि ठेकेदार कार्य का निष्पादन नहीं कर रहा था अथवा धीमी गति से कर रहा था तो वसूली शुरू की जा सकती थी और ऐसे अग्रिमों के दुरुपयोग को कम किया जा सकता था। हालांकि उपरोक्त तीन ठेकों के संबंध में, कंपनी ने कार्य की प्रगति से जोड़ते हुए ब्याज मुक्त अग्रिम अनुमत करके त्रुटिपूर्ण करार किया था, जो सीवीसी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था। इसके कारण कंपनी को अक्टूबर 2014 तक संबंधित परियोजना की निधीरित समापन तिथि के बाद ठेकेदारों के पास अवरुद्ध अग्रिम राशि पर ₹ 49.63 करोड़* के ब्याज की हानि हुई।
- वसूली को कार्य की प्रगति से जोड़ने के कारण दीर्घकालिक अवधि ठेकेदारों को ब्याजमुक्त अग्रिम दिया गया और इससे ठेकेदारों को परियोजना के समापन में देरी हेतु प्रोत्साहन मिला जो विशेष रूप से सीवीसी द्वारा प्रतिबंधित था।

* 10.5 प्रतिशत/प्रतिवर्ष की दर से जिस दर पर कंपनी ने परियोजना हेतु निधि उधार लिया था।

- परियोजना की समापन (अगस्त 2012: एक परियोजना, और अक्टूबर 2013: दो परियोजनाओं) के प्रति कोई भी परियोजना अक्टूबर 2014 तक पूरी नहीं हो पायी थी। उस तिथि तक, ठेकेदारों के प्रति ₹ 144.20 करोड़ का अग्रिम बकाया था जिससे कंपनी को और ब्याज हानि हुई।

कंपनी ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2014) बताया कि:

- क) कंपनी को एक गैर-सार्वजनिक क्षेत्र जेवी स्थापित करने की मंशा से प्रोत्साहित किया गया था। कंपनी की लगभग 58 प्रतिशत इक्विटी को फर्म्ड अप करना था जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत इक्विटी को नीतिगत इक्विटी और शुरुआती सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से टाई अप किया जाना था। चूंकि कंपनी एक गैर-सरकारी कंपनी है, सीधीसी दिशानिर्देश इस पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं थे।
- ख) सभी तीनों मामलों में बोलीदाताओं ने ऐसे अग्रिम की माँग की। डीएफसीयू और एयू ठेके (तालिका के क्रमांक 1) के निविदा के मामले में दूसरी बोली-पूर्व संगोष्ठी (पीबीसी) 10 दिसम्बर 2007 को आयोजित की गई थी जिसमें बोलीदाताओं ने ब्याजमुक्त अग्रिम प्रदान करने हेतु अनुरोध किया था। एलएलडीपीई/एचडीपीई और पीपी ठेके (तालिका के क्रमांक 2) के लिए आमंत्रित सीमित निविदा के संबंध में अधिकांश बोलीदाताओं ने पीबीसी में अग्रिम की माँग की। परियोजना की जटिलता को देखते हुए सीपीपी पैकेज (तालिका के क्रमांक 3) नामित आधार पर भेल को दिया गया था जिसने भी अग्रिम देने का अनुरोध किया था। ठेकेदारों के अनुरोध के आधार पर कंपनी अग्रिम भुगतान पर सहमत हुई थी।

निम्नलिखित को देखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- शुरू में कंपनी ने दहेज में पेट्रोकेमिकल कांप्लेक्स परियोजना के कार्यान्वयन हेतु ओएनजीसी, जीएसपीसी और वित्तीय संस्थानों (एफआईज़)/नीतिगत साझेदारों द्वारा एक विशेष उद्देश्य साधन (एसपीवी) आमंत्रित किया गया था। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में 2:55:1 की डेट इक्विटी अनुपात की परिकल्पना करते हुए ₹ 13,540 करोड़ का अनुमानित आउटले था। एसपीवी में इंक्विटी में (क) ओएनजीसी: ₹ 992 करोड़ (26 प्रतिशत), (ख) जीएसपीसी: ₹ 190 करोड़ (5 प्रतिशत) और (ग) एफआईज़ एवं नीतिगत साझेदार (₹ 2632 करोड़, 69 प्रतिशत) का योगदान किया जाना था। एसपीवी की इक्विटी में 19 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ गेल मार्च 2009 में जुड़ा और एफआईज़ की हिस्सेदारी में कटौती हुई। हालांकि, समय के साथ एफआईज़ द्वारा अपेक्षित इक्विटी योगदान

हेतु जोर दिये बिना एसपीवी में आंशिक निधियों को शामिल करके ओएनजीसी और गेल द्वारा विलय कर लिया गया। परिणामस्वरूप एसपीवी की 100 प्रतिशत दत्तमत पूँजी (₹ 2021.92 करोड़) अर्थात् 31 मार्च 2014 तक कंपनी को ओएनजीसी (₹ 997.96 करोड़, 49.36 प्रतिशत), गेल (₹ 994.94, 49.21 प्रतिशत) तथा जीएसपीसी (₹ 29 करोड़, 1.43 प्रतिशत) द्वारा योगदान दिया गया था। कंपनी एफआईजे और नीतिगत साझेदारों को जोड़कर रखने में विफल रही। व्यक्तियों से ₹ 2.5 लाख का मामूली योगदान विलय तक यथावत था।

- उपरोक्त के अतिरिक्त ओएनजीसी द्वारा कंपनी की इक्विटी के प्रति अग्रिम के रूप में ₹ 670.92 करोड़ दिया गया था (मई 2013) जिसका मार्च 2014 तक ओएनजीसी को शेयर आबंटित नहीं किया गया था। कंपनी का संचालन वास्तव में ₹ 2.5 लाख का मामूली योगदान करके पूरी तरह से सार्वजनिक निधियों अर्थात् ओएनजीसी, गेल और जीएसपीसी के माध्यम से चल रही है।
- सभी तीन ठेकों के संबंध में बोलीदाताओं ने केवल ब्याजमुक्त अग्रिम का अनुरोध किया था और कार्य की प्रगति से वसूली को जोड़ने पर जोर नहीं दिया था। इसलिए कार्य की प्रगति से वसूली को जोड़ने का पर्याप्त औचित्य प्रतीत नहीं होता।
- कंपनी चयनित आधार पर सीवीसी दिशा-निर्देशों का पालन कर रही थी। इसने दो मामलों (जनवरी/जून 2011 में दिए गए मै. विजय टैंक्स वैसल्स लिमिटेड और सैमसंग इंजीनियरिंग लिमिटेड के ठेके) में ब्याजमुक्त अग्रिम नहीं दिया जबकि बोलीदाताओं ने ऐसे अग्रिम की मांग की थी।
- इस प्रकार चयनित आधार पर सीवीसी के दिशा-निर्देशों का पालन करने के बजाए कंपनी को इन दिशा-निर्देशों का एक तरह से पालन किया जाना चाहिए था विशेष रूप से तब, जबकि इसके इक्विटी शेयरधारक अर्थात् ओएनजीसी, गेल और जीएसपीसी इन दिशा-निर्देशों के अध्यधीन थीं और इसका पालन कर रही थीं।

अतः तथ्य रह जाता है कि कंपनी ने सीवीसी के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में ठेकेदारों को ब्याजमुक्त अग्रिम प्रदान करते हुए तथा इसकी वसूली को कार्य प्रगति से जोड़कर त्रुटिपूर्ण करार किया और इससे ब्याज की हानि हुई।

मामले को दिसम्बर 2014 में मंत्रालय को बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।